**अखिल भारतीय वाक् श्रवण संस्थान(अ.भा.वा.श्र.सं.) मैसूरू**

( एक स्वायत्त संस्थान के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय,भारत सरकार (

सूचना पुस्तिका (हिन्दी तर्जुमा)

अंतिम दिन अपडेट किया गया: 05.09.2022

© सत्त्वाधिकार 2022-23

#### अ.भा.वा.श्र.सं. का परिचय

अखिल भारतीय वाक् श्रवण संस्थान(अ.भा.वा.श्र.सं.) एक अग्रणी राष्ट्रीय संगठन है जिसे लोकप्रिय रूप से आइश के रूप में जाना जाता है जो संप्रेषण विकृतियों पर मानव संसाधन विकास, अनुसंधान, नैदानिक ​​देखभाल और सार्वजनिक शिक्षा के कारणों को आगे बढ़ाता है। यह संस्थान वर्ष 1966 में एक स्वायत्त संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था जो कि भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित है। मैसूर के मानसागंगोत्री में मैसूर विश्वविद्यालय से सटे 32 एकड़ के हरे भरे परिसर में स्थित है।यह एशियाई उपमहाद्वीप में एक अनूठा संस्थान है, जिसमें एक सुसज्जित पुस्तकालय और सूचना केंद्र के साथ लेडीज हॉस्टल, प्रशासनिक, शैक्षणिक, नैदानिक ​​भवनों और ज्ञान पार्क के साथ-साथ छात्रों को अनुशासनात्मक अनुसंधान और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अत्याधुनिक सुविधाओंवाले ग्यारह विभाग हैं। दो अतिरिक्त परिसर हैं - एक का नाम पंचवटी है और दूसरा नवगठित परिसर वरुणा, मैसूरु में है।पंचवटी परिसर में छात्रावास और आइश जिमखाना है, जिसमें रोगियों को समायोजित करने के लिए एक बहुस्तरीय इमारत की नींव भी रखी गई है; और संस्थान वरुणा में नए परिसर के निर्माण के लिए अच्छी तरह से प्रगति कर रहा है।

  आइश एक स्वायत्त संगठन के रूप में कार्यकारी परिषद के निर्देशन के अधीन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के माननीय केन्द्रीय मंत्री के अध्यक्ष रूप में और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कर्नाटक सरकार के माननीय मंत्री के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। संस्थान के प्रमुख उद्देश्य व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना, नैदानिक ​​सेवाएं प्रदान करना, अनुसंधान संचालन करना और संप्रेषण विकृतियों जैसे श्रवण हानि, मानसिक मंदता, आवाज, प्रवाह और ध्वनि और भाषा संबंधी विकृतियों से संबंधित मुद्दों पर जनता को शिक्षित करना है।
       संस्थान संपूर्ण भारत और विदेशों से छात्रों को आकर्षित करता है। यह पिछले 5 दशकों में संपूर्ण देश में ऑडियोलॉजी, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी और विशेष शिक्षा के व्यवसायों के कारण को आगे बढ़ाने में प्रयास किया है। संस्थान ने वर्ष 1966 में एक स्नातकोत्तर कार्यक्रम के साथ शुरू किया था और अब संप्रेषण विकृति और संबद्ध क्षेत्रों से संबंधित डिप्लोमा से लेकर पोस्ट डॉक्टरल की डिग्री के लिए 18 दीर्घकालिक शैक्षणिक कार्यक्रम प्रदान करता है। पाठ्यक्रम, जैसे, डिप्लोमा प्रोग्राम (डिप्लोमा इन हियरिंग एड और इयरमोल्ड टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन ट्रेनिंग यंग हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रेन एंड डिप्लोमा इन हियरिंग लैंग्वेज और स्पीच; अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम्स (बी.ए.एस.एल.पी. और बीएसईड - हियरिंग-इंपेयरमेंट), स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी एवं फॉरेंसिक स्पीच साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए  क्लिनिकल लिंग्विस्टिक्स में पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम्स; पीजी डिप्लोमा इन न्यूरो ऑडियोलॉजी और पीजी डिप्लोमा इन ऑगमेंटेटिव एंड ऑल्टरनेटिव कम्युनिकेशन; पोस्ट-ग्रेजुएट कोर्स (ऑडियोलॉजी में एम.एससी, स्पीच-लैंग्वेज पैथोलॉजी में एम.एससी और एम.एस.एड-हियरिंग-इम्पेयरमेंट) छात्रों के लिए पेश किए जाते हैं। इन पाठ्यक्रमों के अलावा, संस्थान ऑडियोलॉजी, स्पीच-लैंग्वेज पैथोलॉजी, स्पीच एंड हियरिंग, लिंग्विस्टिक्स और स्पेशल एजुकेशन में पीएचडी कार्यक्रम प्रदान करता है। यह पोस्ट-डॉक्टरल फैलोशिप भी प्रदान करता है। संस्थान ने सहायक / तकनीशियन स्तर पर जनशक्ति विकास की तेज दर की लक्ष्य की ओर देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ सहयोग किया है और दूरस्थ प्रणाली के माध्यम से डिप्लोमा इन हियरिंग लैंग्वेज और स्पीच (डीएचएलएस) कार्यक्रम शुरू किया है। यह कार्यक्रम वर्तमान में अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास मुंबई, अटल बिहारी वाजपेयी आयुर्विज्ञान संस्थान और डॉ. राम मनोहर लोहियाल अस्पताल, नई दिल्ली, जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, अजमेर; इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, शिमला, किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय, लखनऊ, राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, रांची, श्री रामचंद्र भंज, मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, कटक, और जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, भागलपुर में चल रहा है। डीएचएलएस (डिप्लोमा) कार्यक्रम को B.ASLP (बैचलर डिग्री) कार्यक्रम लिए तीन केंद्रों, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज (NSCBMC), जबलपुर; रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल, साइंसेज (RIMS), इंफाल और जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्टग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (JIPMER), पुदुचेरी में अपग्रेड किया गया है। अत्याधुनिक उपकरणों और तकनीकों से लैस, संस्थान संपेषण संबंधी विकृति वाले सभी आयु वर्ग के सेवार्थियों को नैदानिक सेवा प्रदान करता है। यह वाक्, भाषा, श्रवण और निगलन विकृतियों वाले व्यक्तियों का सेवा करता है। किसी भी प्रकार की संप्रेषण कठिनाइयों के लिए बाल चिकित्सा, वयस्क और जराचिकित्सा समूहों को मूल्यांकन और पुनर्वास सेवाएं प्रदान की जाती हैं। ऑडियोलॉजिस्ट, स्पीच-लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, ईएनटी विशेषज्ञ, क्लीनिकल साइकोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट और ऑक्युपेशनल थेरेपिस्ट द्वारा वाह्य-रोगी परामर्श नियमित रूप से संस्थान में दिए जाते हैं। परामर्श के आधार पर प्लास्टिक सर्जन, फोनो-सर्जन, न्यूरोलॉजिस्ट, बाल रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ और आहार विशेषज्ञ जैसे पेशेवरों की एक टीम द्वारा बहु-अनुशासनात्मक सेवाएं भी प्रदान की जाती हैं। वाक्-भाषा चिकित्सा, विशेष शिक्षा, खिलाने और निगलने वाली चिकित्सा, भौतिक चिकित्सा और व्यावसायिक उपचार संस्थान में प्रथागत आधार पर प्रदान किए जाते हैं; और भी, अल्प अवधि के लिए प्रदर्शन चिकित्सा जरूरतमंद रोगियों को प्रदान की जाती है। संस्थान टेली-प्रणाली के माध्यम से भी अपनी सेवाएं प्रदान करता है। वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग और अन्य आईसीटी प्लेटफार्मों के माध्यम से वाक्, भाषा और श्रवण विकृति वाले व्यक्तियों के लिए टेली-मूल्यांकन और टेली-हस्तक्षेप सेवाएं (चिकित्सा, परामर्श, उपबोधन, अभिभावक प्रशिक्षण) किए जा रहे हैं। संस्थान अपनी विशेष इकाइयों या विशेष क्लीनिक जैसे कि ऑगमेंटेटिव एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन (AAC) यूनिट, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (ASD) यूनिट, क्लिनिक फॉर एडल्ट एंड एल्डर्ली पर्सन विद लैंग्वेज डिसऑर्डर (CAEPLD), डिस्फेशिया यूनिट, फ्लुएंसी यूनिट, इंप्लांटेबल हियरिंग डिवाइसेस यूनिट, लर्निंग डिसेबिलिटी क्लिनिक, लिसनिंग ट्रेनिंग (LT) यूनिट, मोटर स्पीच डिसऑर्डर यूनिट, न्यूरोसाइकोलॉजी यूनिट, प्रोफेशनल वॉयस केयर (PVC) यूनिट, स्ट्रक्चरल ओरोफेशियल विसंगतियाँ (U-SOFA) यूनिट, वर्टिगो क्लिनिक और वॉयस क्लिनिक के माध्यम से विशेष नैदानिक ​​सेवाओं की सुविधा प्रदान करता है। संप्रेषण विकृतियों पर नैदानिक ​​और चिकित्सीय सेवाएं पांच मौजूदा नवजात स्क्रीनिंग केंद्रों और आउटरीच सेवा केंद्रों (OSCs) के माध्यम से भी प्रदान की जाती हैं। उप-मंडल तालुक अस्पताल, सागरा; सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी), हुल्लाहल्ली; प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC), अक्खीबल्लु; प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC), गुम्बल्ली; और विवेकानंद मेमोरियल अस्पताल (VMH), सरगुरु संस्थान के ओएससी में स्थित है।
         अपने व्यावसायिकता और गुणवत्ता अनुसंधान उत्पादन के कारण संस्थान को विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उत्कृष्टता केंद्र द्वारा बहरेपन के क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र के रूप में मान्यता दी गई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC), भारत सरकार द्वारा उन्नत अनुसंधान केंद्र, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST)। संस्थान ने अनुसंधान उत्कृष्टता के लिए अपनी पार्श्विका को आगे बढ़ाना जारी रखा और भारत की वित्त पोषण एजेंसियों, डीएसटी, जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT), भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR), यूजीसी और मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD), भारत सरकार, नई दिल्ली के संचालन से अतिरिक्त अनुदान प्राप्त किया। संस्थान संप्रेषण और इसके विकृतियों से संबंधित अनुसंधान को बढ़ावा देता है। संप्रेषण विकृतियों के नियंत्रण और रोकथाम, मूल्यांकन और उपचार के मुद्दों के साथ-साथ वाक् और श्रवण की दुर्बलता के लिए नई तकनीकों के परीक्षण और शोधन पर नैदानिक ​​रूप से प्रासंगिक कारणों के शोध पर विशेष जोर दिया जाता है। अनुसंधान गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए, संस्थान में "आइश अनुसंधान निधि (ARF)" के रूप में जाना जाने वाला एक अलग इंट्रामुरल अनुसंधान निधि स्थापित किया गया है। यह वाक् और श्रवण के क्षेत्र में बहु-विषयक अनुसंधान को बढ़ावा देने में मदद करता है। संस्थान के संकाय और अन्य पेशेवर अनुसंधान की मात्रात्मक और गुणात्मक उत्पादन दोनों को बढ़ाने के लिए इस योजना का उपयोग कर रहे हैं। उपरोक्त के अलावा, मानव जेनेटिक्स (UHG) के लिए एक अलग इकाई वर्ष 2013 में स्थापित की गई थी। यह मुख्य रूप से एक शोध इकाई है जो संप्रेषण विकृतियों के क्षेत्र में काम करने वाले योग्य आनुवंशिकीविदों, अनुभवी चिकित्सकों और प्रख्यात संकाय के बीच सहयोगी परियोजनाओं के माध्यम से कार्य करता है। इकाई सेरेब्रल पाल्सी, हकलाना, और सेंसरिनुरल हियरिंग लॉस पर परियोजनाओं को क्रियान्वित कर रही है जबसे इसकी स्थापना आइश अनुसंधान निधि और डीएसटी द्वारा की गई है। इसमें इलुमिनामेसेक्यू, आयन-प्रोटॉन सीक्वेंसर, जेनेटिक एनालाइज़र 3500 (Sangers), रियल-टाइम पीसीआर (QuantStudio 6), ऑटोमेटेड डीएनए एक्सट्रैक्शन सिस्टम और आणविक जीव विज्ञान और पोस्ट-ट्रांसलेशनल एप्लिकेशन के लिए अन्य परिष्कृत इंस्ट्रूमेंटेशन सुविधाओं के साथ एक अत्याधुनिक प्रयोगशाला है। ।
         संस्थान को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के बहरेपन के नियंत्रण और रोकथाम के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल केंद्र के रूप में और साथ ही साथ इसके लिए मैन पावर जेनेरट करने के लिए भी मान्यता दी गई है । अपनी शैक्षणिक और अनुसंधान उत्कृष्टता के कारण, संस्थान का मूल्यांकन और आकलन  ’ए’ (A) ग्रेड के साथ एनएएसी (NAAC) द्वारा किया गया है। यह अपने गुणवत्ता की प्रतिभा के लिए आईएसओ 9001: 2015 प्रमाणित संगठन भी है। इसके अलावा, इसे कॉलेज ऑफ पोटेंशियल फॉर एक्सीलेंस के रूप में यूजीसी द्वारा और राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कल्याणक (आरबीएसके) के लिए एक सहयोगी संगठन के रूप में, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के योजना के अधीन मान्यता दी गई है।
         संस्थान आम आदमी को संप्रेषण विकृतियों के बारे में जागरूक करने, विकृतियों की रोकथाम पर शिक्षित करने और ऐसे विकृतियों से पीड़ित व्यक्तियों को मार्गदर्शन और परामर्श प्रदान करने के लिए विभिन्न कदम उठा रहा है। संस्थान संप्रेषण विकृतियों जैसे मासिक सार्वजनिक व्याख्यान, सूचना संसाधनों की तैयारी और प्रसार, नुक्कड़ नाटक और रैलियों, अभिविन्यास व्याख्यान / संवेदीकरण कार्यक्रमों पर विभिन्न सार्वजनिक शिक्षा गतिविधियों का संचालन करता है ताकि संप्रेषण विकृतियों की रोकथाम पर जनता में जागरूकता पैदा की जा सके। इसके अतिरिक्त, स्कूल स्क्रीनिंग, औद्योगिक स्क्रीनिंग, बुजुर्ग स्क्रीनिंग और बेडसाइड स्क्रीनिंग की जाती है। देश और विदेश में संप्रेषण विकृतियों वाले व्यक्तियों के द्वार पर टेली-मूल्यांकन और टेली-हस्तक्षेप सेवाओं का संचालन भी किया जा रहा है। संस्थान राज्य और देश के अन्य भागों में विभिन्न इलाकों में संप्रेषण विकृति स्क्रीनिंग शिविरों का आयोजन करता है। शिविरों के एक भाग के रूप में, संप्रेषण विकृतियों की रोकथाम और प्रबंधन पर जनता को शिक्षित करने के लिए व्यापक जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। संप्रेषण विकृतियों वाले व्यक्तियों के प्रबंधन पर माता-पिता / देखभालकर्ताओं के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए, संस्थान द्वारा केयर एंड होप (REECH) कार्यक्रम के माध्यम से संसाधन विनिमय और शिक्षा भी आयोजित की जाती है। सार्वजनिक शिक्षा के लिए सोशल मीडिया का प्रभावी उपयोग एक बड़ी पहल है। संस्थान विभिन्न मीडिया प्रारूपों में संप्रेषण विकृतियों पर विभिन्न प्रकार के सूचना संसाधनों का विकास और प्रसार करता है। संस्थान के कर्मचारी सक्रिय रूप से समाचार पत्रों और पत्रिका प्रकाशनों, लाइव रेडियो / टेलीविजन वार्ता और साक्षात्कार के रूप में विभिन्न जनसंचार माध्यमों और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से आम जनता में संप्रेषण विकृतियों की जागरूकता के लिए जन मीडिया आधारित सार्वजनिक शिक्षा बनाने में सक्रिय रूप से शामिल हैं।
         आइश को अपने पूर्व छात्रों पर गर्व है, जो न केवल भारत में, बल्कि विश्व के विभिन्न भागों में शैक्षणिक, नैदानिक ​​और प्रशासनिक सेटअप में महत्वपूर्ण पदों पर अधिपत्य (कब्जा/अधिकार) किए हैं। वे वाक्, भाषा और श्रवण के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय समाजों के सक्रिय सदस्य बनकर हमें गौरवान्वित किया है।
         संप्रेषण विकृतियों वाले व्यक्तियों तक पहुंचने में उत्कृष्टता हासिल करने का उत्साह कोई सीमा नहीं जानता। आइश गुणवत्ता पेशेवरों को बाहर लाने के लिए प्रतिबद्ध है जो अपने संप्रेषण विकृतियों के दुर्बल प्रभावों को दूर करने के लिए व्यक्तियों की मदद करने की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। हम नए मानकों को स्थापित करने की उम्मीद करते हैं जिससे कि भविष्य के प्रशिक्षित पेशेवर किसी कार्य को बेहतर ढंग से करने और जरूरतमंद लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए हमेशा अपने पैरों पर खड़े रहे। हमें यकीन है कि हमारे छात्र हमें और देश को गौरवान्वित करेंगे।

#### अ.भा.वा.श्र.सं. के दृष्टि तथा ध्येय

**\*दृष्टि**\*:  आवश्यकता आधारित अनुसंधान, क्लिनिकी सेवाओं में उत्कृष्टता के लिए प्रयास, संप्रेषण विकृतियों के क्षेत्र में सजगता उत्पन्न करना व सार्वजनिक शिक्षा–इनके द्वारा मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में विश्वस्तर के संस्थान के रूप में अग्रसर होना.

**\*ध्येय\*:**  विश्व स्तर पर स्पर्धात्मकता और नैतिकता से समन्वित मानव संसाधन, उच्च स्तरीय शिक्षा, मौलिक अनुसंधान, क्लिनिकी सेवाएँ तथा सार्वजनिक सजगता – इनको बढ़ावा देना, बनाए रखना, और उपलब्ध कराना.

**प्रमुख उद्देश्य**

संस्थान के प्रमुख उद्देश्य पेशेवर प्रशिक्षण प्रदान करना, नैदानिक सेवाएं प्रदान करना, अनुसंधान करना और संचार विकारों जैसे श्रवण हानि, मानसिक मंदता, आवाज, प्रवाह और ध्वनि और भाषा संबंधी विकारों से संबंधित मुद्दों पर जनता को शिक्षित करना है।

**संस्था की सारणी**



#### वित्त समिति

**अध्यक्ष**

अपर सचिव (एच)
      भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय,
             नई दिल्ली-110108

**सदस्य**

**स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक,** (अथवा उनके द्वारा नामांकित व्यक्ति)
      स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन
      नई दिल्ली- 110108

      **अपर सचिव (एफ ए)**
      भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय,
      नई दिल्ली- 110108

**संयुक्त सचिव (एच)**
      भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय,
      नई दिल्ली- 110108

**सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण)**
      स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
      कर्नाटक सरकार, बेंगलुरु

**सदस्य** **–** **सचिव**

**निदेशक,**
      अखिल भारतीय वाक् श्रवण संस्थान, मैसूरु-570006

**[शैक्षिक](https://aiishmysore.in/hi/academic-calender)**

**उद्देश्य**

• संप्रेशण विकारों के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास

• संप्रेशण विकारों के क्षेत्र में अनुसंधान

• संप्रेशण विकारों वाले व्यक्तियों के लिए नैदानिक ​​सेवाएं

• लोक शिक्षा

**आधारिक संरचना**

•मल्टी मीडिया सुविधा के साथ 22 अध्ययन कक्ष
• संगोष्ठी हॉल में 180 की बैठने की क्षमता और एक सभागार में400 की बैठने की क्षमता
• डीएचएलएस कार्यक्रमों के लिए 08 केंद्रों से जुड़े दो-तरफ़ा ऑडियो-वीडियो के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली
• इनडोर और आउटडोर स्टेडियम के साथ जिमखाना, जिम, इनडोर खेल
• लड़कियों और लडकों के छात्रावास
• सुसज्जित पुस्तकालय और सूचना केंद्र
• नैदानिक ​​अभ्यास के लिए सीसीटीवी निगरानी के साथ बहुत अच्छी नैदानिक ​​सुविधा
• योग्य संकाय और अन्य तकनीकी कर्मचारी

**पाठ्यक्रम प्रस्तुति**

1. डिप्लोमा इन हियरिंग ऐड एंड ईयर मोल्ड टेक्नोलॉजी (डीएचए एंड ईटी)
2. डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड स्पेशल एजुकेशन (हियरिंग इम्पेयरमेंट) (डीईसीएसई) (एचआई)
3. डिप्लोमा इन हियरिंग, लैंग्वेज एंड स्पीच (डीएचएलएस) - विडियो कांफ्रेंस के माध्यम से
4. बैचलर ऑफ़ ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी (बी.एएसएलपी)
5. पी जी डिप्लोमा इन क्लीनिकल लिंग्विस्टिक्स फॉरएस.एल.पी
6. पी जी डिप्लोमा इन फॉरेंसिक स्पीच साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी (पीजीडी एफएसएसटी)
7. पी जी डिप्लोमा इन न्यूरो ऑडियोलॉजी (पीजीडी एनए)
8. पी जी डिप्लोमा इनऑग्मेंटेटिव एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन (पीजीडी एनएएसी)
9. एम.एससी (ऑडियोलॉजी)
10. एम.एससी (स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी)
11. मास्टर ऑफ़ एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन (हियरिंग इम्पेयरमेंट) एम एड एसपी एड (एचआई)
12. पीएच.डी (ऑडियोलॉजी)
13. पीएच.डी (स्पीच एंड हियरिंग)
14. पीएच.डी (लिंग्विस्टिक्स)
15. पीएच.डी (स्पेशल एजुकेशन)
16. पीएच.डी (स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी)
17. पोस्ट डॉक्टोरल फ़ेलोशिप

 [**वजीफा / फेलोशिप**](https://aiishmysore.in/hi/admin/file_att/23Stipend%20Fellowship.pdf)

**उद्देश्य:**
ऑडियोलॉजी विभाग के प्रमुख उद्देश्य प्रशिक्षण प्रदान करना, नैदानिक ​​सेवाएं प्रदान करना, अनुसंधान करना और श्रवण संबंधित समस्याओं पर जनता को शिक्षित करना है।

**आधारिक संरचना**

•मल्टी मीडिया सुविधा के साथ 22 अध्ययन कक्ष

• संगोष्ठी हॉल में 180 की बैठने की क्षमता और एक सभागार में400 की बैठने की क्षमता

• डीएचएलएस कार्यक्रमों के लिए 08 केंद्रों से जुड़े दो-तरफ़ा ऑडियो-वीडियो के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली

• इनडोर और आउटडोर स्टेडियम के साथ जिमखाना, जिम, इनडोर खेल

• लड़कियों और लडकों के छात्रावास

• सुसज्जित पुस्तकालय और सूचना केंद्र

• नैदानिक ​​अभ्यास के लिए सीसीटीवी निगरानी के साथ बहुत अच्छी नैदानिक ​​सुविधा

• योग्य संकाय और अन्य तकनीकी कर्मचारी

**पुरस्कार**

डॉ. विजय िी. कुमार, अनिल िी. कुमार और उिके पररिार द्िारा स्थावपत श्री डी. के. वेंकटेश मूर्ति स्वर्ि पदक,

जो बी.एएसएलपी के छात्रों को प्रथम रैंक धारक से सम्मानित ककया जाता है।

• III बी.एएसएलपी छात्र को सविश्रेष्ठ नैदार्नक सम्मेलन प्रस्तुर्त पुरस्कार दी जाएगी।

• सुश्री इंददरा कुमारी द्िारा स्थावपत अभिलाषा पुरस्कार, एम.एससी (स्पीच लैंग्िेज पैथोलॉजी) में सिव श्रेष्ठ छात्र

चचककत्सक को ददया जाता है। यह पुरस्कार िकद पुरस्कार के रूप में है।

• डॉ.विजय िी कुमार, अनिल िी.कुमार और उिके पररिार द्िारा स्थावपत श्रीमनत जयलक्ष्मी स्वर्ि पदक, एम.एससी

(स्पीच लैंग्िेज पैथोलॉजी) में पहली रैंक धारक को प्रदाि की जाती है।

• फ्रें ड्स यूनाइटेड ऑर्िनाइजेशन एंडोमेंट स्कॉलरभशप, एम.एससी (स्पीच लैंग्िेज पैथोलॉजी) कायवक्रम में सिोच्च अंक

हाससल करिेिाले छात्र को िकद पुरस्कार ददया जाता है।

• प्रथम एम.एससी (ऑडडयोलॉजी / स्पीच-लैंग्िेज पैथोलॉजी) के छात्रों को बेस्ट जनिल क्लब प्रेजेंटेशन पुरस्कार दी

जाएगी।

• श्रीमती टी.वी.अलामेलुस्वर्ि पदक उस छात्र को ददया जाता है, जो एम.एससी (स्पीच लैंग्िेज पैथोलॉजी) में स्पीच

प्रोडक्शि कोसव में सिोच्च अंक प्राप्त करता है।

• डॉ. आर सुंदर स्वर्ि पदक उस छात्र को ददया जाता है, जो एम.एससी (स्पीच लैंग्िेज पैथोलॉजी) कोसव, स्पीच

लैंग्िेज प्रोसेसस ंग / स्पीच लैंग्िेज पर सेप्शि में उच्चतम अंक प्राप्त करता है।

• डॉ. ववजयलक्ष्मी बसवराज स्वर्ि पदक, सिवश्रेष्ठ एम.एससी (श्रिण विज्ञाि) स्िातकोत्तर छात्र को ददया जाएगा,

जजन्हों िे सभी सेमेस्टर में सिोच्च अंक प्राप्त करता है।

• श्रीमती आर. सुभमत्रम्मा और श्री आर. के. राजर्ोपाला स्वर्ि पदक सिव श्रेष्ठ छात्र चचककत्सक को, जजन्होंिे सभी

चार सेमेस्टर में एम.एससी (श्रिण विज्ञाि) के जक्लनिकल प्रैजक्टकम में सिोच्च अंक प्राप्त ककए।

• डॉ. श्यामला और श्रीमती पाविती चेंर्प्पा एंडॉमेंट पुरस्कार, भाषा पैथोलॉजी में सिव श्रेष्ठ एम.एससी (स्पीच लैंग्िेज

पैथोलॉजी) छात्र को ददया जाता है।

• डॉ। एस र्नकम पुरस्कार, एम.एससी (श्रिण विज्ञाि) में (एलटीयूमें) सिवश्रेष्ठ छात्र चचककत्सक को ददया जाता है।

**छात्रवत्तृि / फ़े लोशिप**

डिप्लोमा इन हियर िंग ऐि एिंि ईय मोल्ि ट़ेक्नोलॉजी (डी एच ए एंड ई टी): 10 महीने के लिए रु.250/- प्रति माह

डिप्लोमा इन अली चाइल्ििुि स्प़ेिल एजुक़ेिन (हियर िंग इम्प़ेय मेंट) (डी ई सी एस ई) (एच आई): 10 महीने के लिए रु.250/-

प्रति माह

डिप्लोमा इन हियर िंग, लैंग्व़ेज एिंि स्पीच (डी एच एि एस) - वीडडयो कॉन्फ्रें स मोड के माध्यम से: 10 महीने के लिए रु.250/-

प्रति माह

बी.ए एस एल पी : साि में 10 महीने के लिए रु 800/- प्रति माह - पहिे िीन वर्ष I

इंटनषलिप के दौरान (चौथे वर्ष के लिए) वजीफ़ा देि के ववलिन्फ्न क्षत्रे ों में उनकी तनयुक्ति के अनुसार होगा जो इस प्रकार है:

• उिर-पूवष राज्य : रु.6,000/- प्रति माह

• अन्फ्य राज्य : रु.5000/- प्रति माह

बैचल ऑफ एजकु़ेिन स्प़ेिल एजुक़ेिन (हियर गिं इम्प़ेय मेंट): साि में 10 महीने के लिए रु.400/- प्रति माह

पी जी डिप्लोमा इन क्लीननकल शलिंग्ग्वग्स्टक्स फॉ स्पीच लैंग्व़ेज पैथोलॉजी (पी जी डी एस एि पी): 10 महीने के लिए रु.500/-

प्रति माह

पी जी डिप्लोमा इन फॉ ेंशसक स्पीच साइिंस़ेज एिंि ट़ेक्नोलॉजी (पी जी डी एफ एस एस टी): 10 महीने के लिए रु.500/-

प्रति माह

पी जी डिप्लोमा इन ऑग्मेंट़ेहटव एिंि अल्ट ऩेहटव कम्युननक़ेिन (पी जी डी ए ए सी): 10 महीने के लिए रु.500/- प्रति

माह

एम.एससी (ऑडडयोिॉजी) िथा एम.एससी (स्पीच-िैंग्वेज पैथोिॉजी): साि में 10 महीने के लिए रु.1300/- प्रति माह

मास्ट ऑफ एजकु़ेिन स्प़ेिल एजुक़ेिन (हियर गिं इम्प़ेय मेंट): साि में 10 महीने के लिए रु.650/- प्रति माह

पीएचिी (ऑडियोलॉजी) औ पीएचिी (स्पीच-लैंग्व़ेज पैथोलॉजी):

हर साि 9 (ऑडडयोिॉजी) और 9 (स्पीच-िैंग्वेज पैथोिॉजी) छात्रों को ररसचष फे िोलिप प्रदान की जाएगी

• रु.20000/- प्रति माह: प्रथम वर्ष

• रु.22000/- प्रति माह: दसू रा वर्ष

• रु.25000/- प्रति माह: िीसरा और अंतिम वर्ष

• तनयमानुसार एच.आर.ए.

• आकक्स्मकिा अनुदान रु.20,000/- प्रति वर्ष

पोस्ट िॉक्ट ल फै लोशिप क़े शलए वजीफा इस प्रका िैं:

पीएचडी फे िोलिप का िुगिान फै िोलिप की पूरी अवधि के दौरान रु.35,000/- प्रति माह ककया जाएगा

तनयमानुसार एच.आर.ए.

आकक्स्मकिा अनुदान रु.50,000/- प्रति वर

**छात्रावास**

प्रवेशित उम्मीदवारों को महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग-अलग छात्रावासों में आवास अके िे, दो िोगों और तीन िोगों के

साथ रहने के लिए कमरे के रूप में िैं। िालांकक, छात्रों को अपने स्वयं के बिस्तर और अन्य व्यक्ततगत आवश्यकताओं को

लाने की आवश्यकता िोती िै। कमरे उपलब्ध िोने पर िी स्थानीय छात्रों को आवास उपलब्ध कराया जाएगा।



**संपर्क**

डॉ. अजित र्ुमार यू

श्रवण ववऻान प्राध्यापक और शैक्षऺक समन्वयक

एआईआईएसएच, मैसूर 570006

टेऱीफोन: 0821-2502586 / 2502165

ईमेऱ: aiish.academic@gmail.com

डॉ. िे.एस. िय शंर्र राव

रजिस्ट्रार

एआईआईएसएच, मैसूर 570006

टेऱीफोन: 0821-2502164

ईमेऱ: jadhavjsrao@gmail.com

#### श्रेष्ठता का केन्द्र

#### उत्कृष्टता के लिए केंद्रउत्कृष्टता के लिए केंद्र के विषय में विवरण माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री,  भारत सरकार, नई दिल्ली ने 18 जुलाई, 2013 को कुल 1937 करोड़ (इन्फ्रास्ट्रक्चर, स्टाफ और उपकरणों के लिए) की कुल लागत पर संचार विकार के क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र के रूप में संस्थान के उन्नयन के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की।

**मुख्य विशेषताएं**
भवन 2 / 4 व्हीलर पार्किंग स्थान के लिए तहखाने के साथ जी + 3 मंजिलों में रखा गया है।
भवन में निम्नलिखित इकाइयाँ होती हैं:
  • विज्ञान सुनने के लिए केंद्र
  • बच्चों, वयस्कों और वरिष्ठ नागरिकों में सुनवाई क्षीणता के लिए केंद्र
  • निगलने वाले विकार व्यक्तियों के लिए केंद्र
  • टिनिटस और वेस्टिबुलर विकारों वाले व्यक्तियों के लिए केंद्र
  • बच्चों, वयस्कों और वरिष्ठ नागरिकों में भाषण और भाषा विकारों के लिए केंद्र
  • भाषण और भाषा विज्ञान के लिए केंद्र
  • AAC और सांकेतिक भाषा के लिए केंद्र
  • संचार विकारों और महामारी विज्ञान अनुसंधान और संचार विकारों में संज्ञानात्मक व्यवहार विज्ञान की रोकथाम के लिए केंद्र
  • सूचना और पेटेंट और पुनर्वास इंजीनियरिंग, ध्वनिकी और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग (CRAB) के लिए केंद्र
  • संचार विकारों के सर्जिकल पुनर्वास के लिए केंद्र
  • प्रकाशन विंग
  • संचार विकारों में सार्वजनिक शिक्षा के लिए केंद्र
इमारत का कुल क्षेत्रफल 2,71,250 वर्ग फुट है

[**पेटेंट सेल**](https://aiishmysore.in/en/patent-cell.php)

(नियंत्रण + क्लिक करें)

**संपर्क**

सरथ कुमार पु

प्रमुख, पेटेंट सेल

अखिल भारतीय भाषण और श्रवण संस्थान (एआईआईएसएच), मानसंगोत्री,

मैसूर- 570006,

कर्नाटक

दूरभाष - 0821-2502761

ईमेल: sharathpattar.hpc@aiishmysore.in

**डि.एच.एल.एस. के बारे में**

 डिप्लोमा इन हियरिंग लैंग्वेज एंड स्पीच (डी.एच.एल.एस.)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने वर्ष 2006 में बहरेपन की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एन.पी.पी.सी.डी.) की शुरुआत की। एन.पी.पी.सी.डी. को समर्थन देने के लिए अखिल भारतीय वाक् श्रवण संस्थान (ए.आई.आई.एस.एच.), मैसूर को वर्धित दर पर, जमीनी स्तर पर काम करने वाले उपयुक्त श्रमशक्ति को विकसित करने की जिम्मेदारी दी गई।

इस पहल के अनुरूप, संस्थान ने 2007 में सहायक / तकनीशियन स्तर पर जनशक्ति विकास की तेज दर का लक्ष्य करते हुए डिप्लोमा इन हियरिंग लैंग्वेज एंड स्पीच (डी.एच.एल.एस.) नामक डिप्लोमा स्तर का कार्यक्रम शुरू किया। भारतीय पुनर्वास परिषद (आर.सी.आई.) से मान्यता प्राप्त करने के बाद जी.पी.एम.आर.पुदुचेरी, आर.आइ.एम.एस.इम्फाल, ए.आइ.आइ.पी.एम.आर.मुंबई और एम.ए.एम.सी. नई दिल्ली (बाद में, आर.एम.एल. नई ​​दिल्ली में स्थानांतरित) को जोड़ते हुए डी.एच.एल.एस. कार्यक्रम शुरू किया गया था। वर्ष 2008-2009 में, संस्थान ने जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, अजमेर इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, शिमला; नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज, जबलपुर; किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ; राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, रांची और श्री रामचंद्र भंज, मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल कटक में अध्ययन केंद्रों के रूप में 6 और मेडिकल कॉलेजों को जोड़ा। 2009-2010 में, भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में एक और केंद्र शुरू किया गया।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सिद्धांत कक्षाएं ए.आई.आई.एस.एच. मैसूर से संचालित की जाती हैं; और देश भर के छात्रों को एक ही समय में एक वास्तविक ऑडियो-वीडियो बातचीत के प्रावधान के साथ व्याख्यान प्राप्त होता है। क्लिनिकल प्रशिक्षण पारंपरिक तरीके से संबंधित अध्ययन केंद्रों में योग्यपेशेवरों कीदेखरेख में दिन-प्रतिदिन के आधार पर किया जाता है।

कार्यक्रम का उद्देश्य गांव, ब्लॉक / तालुक और शहर के स्तरों पर वाक्, भाषा और श्रवण के विभिन्न विकारों के लिए मूल्यांकन और चिकित्सीय प्रबंधन में संलग्न नियमित नैदानिक ​​कार्य करने के लिए वाक् और श्रवण तकनीशियनों/सहायकों का उत्पादन करना है। डीएचएलएस कार्यक्रम को चरणबद्ध तरीके से बैचलर इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच-लैंग्वेज पैथोलॉजी डिग्री (बी. ए एस एल पी) कार्यक्रम में अपग्रेड करने की योजना है। 2014-15 में डी.एच.एल.एस. कार्यक्रम को तीन केंद्रों, जैसे - नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज (एन.एस.सी.बी.एम.सी.), जबलपुर; रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल, साइंसेज (आर.आइ.एम.एस.), इंफाल और जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्टग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (जी.पी.एम.आर.), पुदुचेरी में बैचलर इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच-लैंग्वेज पैथोलॉजी डिग्री कार्यक्रम में अपग्रेड किया गया है।

डी.एच.एल.एस. पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण लेने वाले छात्रों को स्व-शिक्षण सामग्री (एस.एल.एम.) उपलब्ध कराई जाती है। ये एस.एल.एम., आर.सी.आई. के पाठ्यक्रम पर आधारित हैं। पाठ्यक्रम की बेहतर समझ और छात्रों की विस्तारित सुविधा के लिए, स्व-शिक्षण सामग्री का हिंदी भाषा में अनुवाद किया जा रहा है। नामांकित छात्रों को निम्नलिखित पाठ्यक्रम सीखने का अवसर मिलता है:

पाठ्यक्रम I: ऑडियोलॉजी का परिचय

पाठ्यक्रम II वाक् - भाषा विकृति विज्ञान का परिचय

पाठ्यक्रम III संचार विकार का प्रबंधन - I

पाठ्यक्रम IV संचार विकार का प्रबंधन – II

शैक्षणिक सत्र 2017-18 से, आर. सी. आई. ने डिप्लोमा / सर्टिफिकेट स्तर के पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए “अखिल भारतीय ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट (AIOAT)” शुरू किया है। तदनुसार, डी.एच.एल.एस. कार्यक्रम के लिए प्रवेश केवल उन उम्मीदवारों के बीच से किया जा रहा है जो आर. सी. आई. द्वारा आयोजित पूर्वोक्त ऑन-लाइन परीक्षा में अर्हता प्राप्त करते हैं।

**संपर्क करें:**



**ऑडियोलॉजी**

A. प्रशिक्षण
B. नैदानिक सेवाएं
     1. श्रवण मूल्यांकन
     2. ऑडियोलॉजिकल उपचार
C. व्याप्ति  सेवाएं
D लोक शिक्षा

**E. परीक्षण प्रभार**
[**अनुसंधान**](http://audiology-research/)

1. पिछले 5 वर्षों में अनुसंधान परियोजनाएं पूरी हुईं
2. जारी प्रोजेक्ट
3. पिछले पांच वर्षों में प्रगति के तहत पीएच.डी.   से सम्मानित किया गया
4. प्रगति के तहत पीएच.डी.
5. प्रकाशन

[**लघु अवधि प्रशिक्षण कार्यक्रम**](http://short-term-training-programs/)

**उद्देश्य:**

ऑडियोलॉजी विभाग के प्रमुख उद्देश्य प्रशिक्षण प्रदान करना, नैदानिक ​​सेवाएं प्रदान करना, अनुसंधान करना और श्रवण संबंधित समस्याओं पर जनता को शिक्षित करना है।

**भूमिका:**

ऑडियोलॉजी के क्षेत्र में जनशक्ति को बढ़ाने के लिए, डिप्लोमा, स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के विभिन्न लघु और दीर्घकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से पेशेवर प्रशिक्षण प्रदान करना। आगे नैदानिक ​​सेवाओं को   प्रदान करने के लिए, इसमें श्रवण संबंधित समस्याओं की रोकथाम, श्रवण संबंधित समस्याओं
 का आकलन, श्रवण उपकरणों का चयन और फिट करना, कस्टम ईयर मोल्ड्स का प्रावधान और श्रवण संबंधित समस्याओं वाले व्यक्तियों का पुनर्वास शामिल है। इसके अलावा, बाकी दुनिया के साथ संपर्क बनाए रखने के लिए ऑडियोलॉजी के क्षेत्र में अनुसंधान गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाता है

**प्रशिक्षण**

**विभाग के अध्यापक**

 **विभिन्न अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने में शामिल हैं। वो हैं:**

**पोस्टडॉक्टोरल अधिछात्रवृत्ति**

**ऑडियोलॉजी में पीएच.डी.**

**एम एस सी (ऑडियोलॉजी)**

**बी एस सी (वाक् एवं श्रवण)**

**न्यूरो ऑडियोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा**

**डिप्लोमा इन हियरिंग एड एंड ईयर मोल्ड टेक्नोलॉजी**

**डिप्लोमा इन हियरिंग, लैंग्वेज एंड स्पीच साइंसेज**

**डिप्लोमा इन टीचिंग यंग (डेफ और हार्ड ऑफ़ हियरिंग)**

**बी.एस.ईड (हियरिंग इम्पेयरमेंट)**

**एम.एस.ईड (हियरिंग इम्पेयरमेंट)**

**अल्पकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम**

**रिफ्रेशर पाठ्यक्रम / सेमिनार / कार्यशालाएं**

**साप्ताहिक जर्नल क्लब और नैदानिक ​​सम्मेलनों के लिए मार्गदर्शन**

**सर्व शिक्षा अभियान (एस एस ए) कार्यक्रम**

**नैदानिक ​​सेवाएं**

**कुछ दिनों से लेकर बुजुर्ग व्यक्तियों तक के लिए, विभाग, कान संबंधित समस्याओं की पुरी जाँच प्रदान करता है। गतिविधियों में सुनने समबंधित समस्याओं को रोकना, सुनने समबंधित समस्याओं का आकलन, श्रवण उपकरणों का चयन और फिटिंग, कस्टम ईयर मोल्ड्स का प्रावधान और श्रवण दोष वाले व्यक्तियों का पुनर्वास शामिल है। इन सेवाओं को मोटे तौर पर श्रवण मूल्यांकन और ऑडियोलॉजिकल पुनर्वास के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।**

**श्रवण मूल्यांकन**

**श्रवण मूल्यांकन में सुनवाई का एक विस्तृत मूल्यांकन शामिल है। श्रवण मूल्यांकन में बिहेवियरल**

**एवं ऑब्जेक्टिव परीक्षणों के साथ-साथ उपयोग किया जाता है। श्रवण समस्या की जांच के लिए अत्याधुनिक उपकरणों का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा टिनिटस, हाइपराक्यूसिस, कोक्लेयर डेड रिजिएंस, ऑडिटरी न्यूरोपैथी स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स और सी ए पी डी के मूल्यांकन के लिए जाँच उपलब्ध हैं।**

**विभाग में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख बेहवियरल जाँच प्योर टोन ऑडिओमेट्री और स्पीच ऑडियोमेट्री हैं। बेहवियरल ऑब्जरवेशन ऑडीओमेट्री (बीओए) और विज़ुअल रिनफोर्समेंट ऑडीओमेट्री (वीआर ए) की सुविधा भी उपलब्ध है । वीआर ए के साथ छह महीने की उम्र तक बच्चों से शब्दों के लिए स्वैच्छिक प्रतिक्रियाएं प्राप्त करना संभव है।**

**ऑब्जेक्टिव परीक्षण का उपयोग करते हुए, श्रवण जाँच, व्यक्ति के स्वैच्छिक प्रतिक्रिया के बिना भी प्राप्त की जा सकती हैं। विभाग में उपयोग किए जाने वाले ऑब्जेक्टिव परीक्षणों इमि टेन्स मूल्यांकन, ओटो अकूस्टिक एमिशन(OAE), ऑडिटरी इवोक्ड पोटेंशिअल(AEP) एवं ऑडिटरी स्टेयडी स्टेट रिस्पांस(ASSR) शामिल हैं.**

**श्रवण जाँच के बाद, उपयुक्त रेफरल या पुनर्वास प्रक्रियाओं की सिफारिश की जाती है। रेफरल/ उपचार एक चिकित्सा / सर्जिकल लाइन के लिए हो सकता है। ऑडियोलॉजिकल उपचार सिफारिश किए जाने पर उपचार विभाग में किया जाता है।**

**ऑडियोलॉजिकल उपचार**

**श्रवण यंत्र फिटमेंट: विभिन्न प्रकार के श्रवण यंत्र और सहायक श्रवण उपकरणों (ALD) परीक्षण के लिए उपलब्ध हैं। आमतौर पर, श्रवण यंत्र उन लोगों को लगाया जाता है, जिन लोगों को चिकित्सा से लाभ नहीं मिलता है । विभिन्न प्रकार के श्रवण यंत्र जो उपलब्ध हैं उनमे, बॉडी लेवल हियरिंग ऐड , बिहाइंड दी ईयर हियरिंग ऐड , स्पेक्टेकल , रिसीवर इन दी कैनाल हियरिंग ऐड , इन दी कैनाल हियरिंग ऐड, कम्प्लीटली इन दी कैनाल हियरिंग ऐड शामिल हैं । मरीजों के परीक्षण के लिए पारंपरिक और डिजिटल श्रवण यंत्र उपलब्ध हैं। क्लाइंट के लिए सबसे उपयुक्त डिवाइस का चयन करने के लिए श्रवण उपकरणों से लाभ का विशिष्ट मूल्यांकन किया जाता है।**

**मरीजों के लिए, बिहाइंड दी ईयर हियरिंग ऐड निशुल्क या अनुदानित दर पर एडीआईपी (ADIP) स्कीम के अंतर्गत उपलब्ध है। एएलडी उन व्यक्तियों की मदद करता है जिनको कुछ विशेष स्थितियों में श्रवण यंत्र से सहायता पर्याप्त नहीं हो सकती है। ये उपकरण कुछ विशिष्ट सिग्नल को बढ़ाते हैं, जैसे कि दरवाजे की घंटी की आवाज़, टेलीफोन की घंटी, टेलीफोन पर बातचीत में सहायता और टेलीविजन सुनने के लिए।**

**कॉक्लीयर इंप्लांट के उम्मीदवारी का निर्धारण करने के लिए भी आकलन किया जाता है। कॉक्लीयर इम्प्लांट के स्पीच प्रोसेसर को प्रोग्रामिंग करने और कोकलियर इंप्लांट से लाभ का मूल्यांकन करने के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध हैं**

**हियरिंग डिवाइस डिस्पेंसिंग यूनिट**

**ऑडियोलॉजी विभाग 2006-07 से हियरिंग डिवाइस डिस्पेंसिंग यूनिट के अंतर्गत श्रवण यंत्रों का वितरण सफलतापूर्वक कर रहा है।. इस योजना के माध्यम से, मरीज निर्धारित श्रवण यन्त्र की खरीद रियायती दर पर कर सकते हैं। इस योजना में ए डी आई पी (ADIP) योजना के तहत भारत सरकार द्वारा वितरित किये जाने वाले उपकरणों को छोड़कर अन्य उपकरण शामिल हैं।**

**ईयर मोल्ड्स: ईयर मोल्ड का उपयोग उपयोगकर्ता के कानों में विशिष्ट प्रकार के श्रवण यंत्रों के जोड़ने के लिए किया जाता है। विभाग को कस्टम हार्ड मोल्ड, सॉफ्ट मोल्ड और कस्टम इन दी ईयर और कैनाल प्रकार के श्रवण यंत्र उपलब्ध कराने के लिए सुविधाएं विभाग में उपलब्ध हैं। 11 वीं पंचवर्षीय योजना के भाग के रूप में विभाग में एक केंद्रीय प्रोस्थेटिक लैब भी स्थापित की गई है। इस लैब में, कान के इम्प्रेशन (विभिन्न केंद्रों से प्राप्त किए जाते हैं जहाँ मोल्ड बनाने की सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं) संसाधित होती हैं और कस्टम ईयर मोल्ड्स को इन केंद्रों में वापस भेज दिया जाता है। कस्टम ईयर मोल्ड्स के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, व्यक्तियों के विभिन्न समूहों को प्रशिक्षित किया जाता है ताकि वे कान के छापों को बना सकें और उन्हें प्रसंस्करण के लिए लैब में भेज सकें।**

**परामर्श: श्रवण उपकरणों की फिटिंग के साथ ऑडियोलॉजिकल प्रबंधन समाप्त नहीं होता है। मरीजों को उनकी समस्या, श्रवण यंत्र, श्रवण यंत्र की देखभाल और उसके उपयोग के बारे में प्रशिक्षण/परामर्श दिया जाता है। किसी उपकरण से अधिकतम लाभ प्राप्त करने, की जानकारी भी प्रदान की जाती है। उन्हें सुनने के कौशल, स्पीच रीडिंग और संचार रणनीतियों को बढ़ाने के लिए दिशा-निर्देश भी दिए जाते हैं। इन पहलुओं पर मरीजों को पैम्फलेट भी दिए जाते हैं।**

**श्रवण प्रशिक्षण: श्रवण संबंधी गड़बड़ी के कारण जिन मरीजों को संचार में कठिनाई होती है, उन्हें उपयुक्त श्रवण उपकरणों के साथ श्रवण प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इसके अलावा, कुछ मरीजों को स्पीच रीडिंग का भी प्रशिक्षण दिया जाता है और संचार रणनीतियों का उपयोग करना सिखाया जाता है। विशेष श्रवण आवश्यकताओं वाले मरीज जैसे टिनिटस, हाइपराक्यूसिस, ऑडिटरी न्यूरोपैथी स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स और सीएपीडी का भी प्रबंधन किया जाता है। चिकित्सा की अवधि व्यक्ति की उम्र और व्यक्ति द्वारा सामना की जाने वाली समस्या की मात्रा पर निर्भर करती है। बाहरी मरीजों के लिए, परामर्श चिकित्सा दी जाती है। सभी मरीजों को होम ट्रेनिंग प्रोग्राम दिए जाते हैं।**

**C. व्याप्ति सेवाएं**

**ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में शिविर आयोजित किए जाते हैं, जहां योग्य मरीजों को विकलांगता प्रमाण पत्र और श्रवण यंत्र वितरित किए जाते हैं।**

**D लोक शिक्षा**

**लोक शिक्षा श्रवण संबंधित समस्याओं की रोकथाम, श्रवण संबंधित समस्याओं की पहचान और पुनर्वास के संबंध में जन जागरूकता पैदा की जाती है। प्रिंट और दृश्य-श्रव्य सामग्री जैसे पर्चे, पोस्टर, स्लाइड, वीडियो और मॉडल तैयार किए जाते हैं और ये सार्वजनिक शिक्षा गतिविधियों के लिए उपयोग किए जाते हैं।**

**संपर्क करें**
डॉ। प्रवीण कुमार
श्रवण विज्ञान के एसोसिएट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष
टेलीफोन नंबर: 91-0821- 2502576/2587
ईमेल:aiishaudiology@aiishmysore.in

[**नैदानिक मनोविज्ञान**](https://aiishmysore.in/hi/clinical-psychology)

**प्रस्तावना:**

नैदानिक मनोविज्ञान विभाग, अखिल भारतीय वाक् श्रवण संस्थान, मैसूरु में स्थित बहुत पुराने विभागों में से एक है. इसका पर्याप्त प्रमाण मिल चुका है कि संप्रेषण विकृतियों के शिकार बने कुछ लोगों में मनोसामाजिक समस्याओं का होना स्वाभाविक है. जाहिर है कि यह समस्या उनके बुनियादी संप्रेषण विकारों के कारण, या संबद्ध दोष अथवा विकारों के फलस्वरूप उत्पन्न हुई होगी. मनोसामाजिक समस्याओं की पहल केवल मनोचिकित्सीय हस्तक्षेपन और पुनर्वास से सुधर सकती है. इसीलिए विधित है कि विभाग के निम्नांकित क्रियाकलाप केंद्रित हैं.

मानवशक्ति विकासनीय कार्यों के सभी स्तरों पर व्यक्ति के वाक्, श्रवण, भाषा व संप्रेषण बर्तावों के मनोसामाजिक पहलुओं पर प्रकाश डालना, एवं शिक्षा देना.

व्यक्ति के वाक्, श्रवण, भाषा व संप्रेषण बर्ताव संबंधी मनोसामाजिक पहलुओं पर जोर देते हुएआन्वयिक अनुसंधान या परस्पर विषयक अभिमुखी शोध-अधिशोध कार्य संचालन करना.

वाक्, श्रवण, भाषा व संप्रेषण विकारों के शिकार बने व्यक्तियों को नैदानिक व चिकित्सा सेवाएं प्रदान करना तथा उनके जीवन की गुणवत्ता उन्नत बनाने में योगदान देना.

संप्रेषण विकारों की रोकथाम, पहचान व निर्वहण से संबद्ध मनोसामाजिक पहलुओं पर सजगता पैदा करने वाले सार्वजनिक शिक्षा क्रियाकलापों का आयोजन करना व साझेदारी लेना.

**उद्देश्य:**

* मानव संसाधन विकास के ज़रिए मानसिक तथा व्यवहार संबंधी विकारों से बाधित व्यक्तियों की पहचान व निर्वहण में, जानकारी देना और कौशल बढ़ाना.
* सक्षम पेशेवर बनने के लिए अपेक्षित व्यावसायिक रूख़ जताते हुए मूल क्लिनिकी व प्रशिक्षण कौशलों से परिचित / अभ्यस्थ कराना.
* रोग निर्धारण व विकासात्मक कौशलों का मूल्यांकन करते हुए अभ्यर्थी का परीक्षण करना तथा चिकित्सा व सेवा योजनाएं बनाना.
* व्यक्ति में दर्शित भावात्मक अनबन हल्का करने, बर्ताव में बने बनाए बुरी आदतें उलटते या बदलते हुए, संप्रेषण समस्यओं से पीड़ित व्यक्ति व उसके परिजनों के व्यक्तित्व  विकास में प्रोत्साहन देना.

**क्रियाकलाप:**

* हमारा विभाग, जोख़िम में रहे बच्चों के लिए तथा विभिन्न प्रकारीय संप्रेषण विकार व विकासात्मक असमर्थताओं के लिए, जिसमें मानसिक मंदता, आत्मविमोह, वाक् विलंबन, अधिगम असमर्थताएँ और बहुविध न्यूनताएं भी सम्मिलित हैं, विस्तृत नैदानिक व हस्तक्षेपन विधि आधारित मनोशैक्षिक मूल्यांकन करते हुए क्लिनिकी सेवाएं देने में तत्पर है.
* संप्रेषण विकृतिग्रस्त ज़रूरतमंद व्यक्ति व उनके परिजनों के लिए व्यक्तिगत तथा समूह परामर्शन, व्यावसायिक मार्गदर्शन व कोचिंग, दिशा निर्देश आदि नियिमत रूप से दिए जाते हैं.
* योग्य मामलों में, केंद्र/ राज्य सरकार द्वारा असमर्थ व्यक्तियों के लिए उपलब्ध कई प्रकारीय लाभ उठाने हेतु उचित प्रमाणन अथवा मेडिको-लीगल केसों का परीक्षण करते हुए, नियिमत तौर पर प्रमाणपत्र प्रदान किए जाते हैं.
* विशेष ज़रूरतमंद बच्चों के लक्षित माता-पिताओं के लिए माता-पिता व शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम नियिमत आयोजित किए जाते हैं.
* गैर-सरकारी संगठन या माता-पिता स्वसहाय समूहों के लिए असमर्थता व क्षतियों से जुड़ी समस्याओं के बारे में दिशा दर्शन, हिमायत एवं सशक्तीकरण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं.

**तंत्रिका मनोवैज्ञानिक अनुसंधान एवं पुनर्वसन केंद्र:**

      संस्थान में तंत्रिका मनोवैज्ञानिक अनुसंधान एवं पुनर्वास केंद्र का उद्घाटन कर्नाटक राज्य के पूर्व लोकायुक्त डा. संतोष हेगडे महोदय ने 9 अगस्त 2013 को किया.
      प्रस्तुत केंद्र, वाचाघात, मस्तिष्कवाहिकीय दुर्घटना (लक्वा अथवा सी वी ए), अधिगम असमर्थता (एल डी), प्रमस्तिष्क अंगाघात, गहरा मस्तिष्क घाव, पार्किन्सन की बीमारी, डेमेन्शिया, जैसी चिकित्सीय स्थितियों में तंत्रिका-संज्ञानात्मक शोध-अधिशोध व पुनर्वसन के क्षेत्र में प्रगतिशील और गैर-प्रगतिशील तंत्रिकासंबंधीच न्यूनताओं के लिए नोडल प्वाइंट बनकर स्थित है.
उक्त केंद्र द्वारा प्रदत्त सेवाओं में निम्नांकित सेवाएं सम्मिलित हैं:

* मानकीकृत व्यक्तिगत परीक्षण विधियों के ज़रिए मस्तिष्क संबंधी विशिष्ट कार्य मूल्यांकन
* मानकीकृत परीक्षण श्रेणियों के ज़रिए लोबयूलार फ़क्शनों का विस्तृत मूल्यांकन
* पेपर पेंसिल तकनीक अथवा कंप्यूटर सहायीकृत पैकेजों के ज़रिए पुनर्वसन कार्य संचालन.

**संपर्क करें:**

डा.एस. वेंकटेसन

प्रोफ़ेसर व विभागाध्यक्ष, नैदानिक मनोविज्ञान विभाग

अखिल भारतीय वाक् श्रवण संस्थान, मानसगंगोत्री, मैसूरु 5 570 006 कर्नाटक राज्य, भारत

फ़ोन (विस्तारण) : +91-0821-2502142

ग्राम: : Speech & Hearing

ईमेल : psyconindia@aiishmysore.in & psyconindia@gmail.com

कार्यसमय : प्रातः 9 बजे से सायं 5.30 बजे तक IST

कार्यदिवस : सोमवार से शुक्रवार तक

[**चिकित्सा सेवा**](https://aiishmysore.in/hi/clinical-services)

**उद्देश्य:**

नैदानिक सेवाएँ: उद्देश्य
विभाग के प्रमुख उद्देश्य छात्रों को नैदानिक प्रशिक्षण प्रदान करना और संचार विकृतियों वाले व्यक्तियों को नैदानिक सेवाएं प्रदान करना है। उपरोक्त उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, निम्नलिखित गतिविधियाँ की जाती हैं:

* विभिन्न संचार संचार विकृतियों वाले व्यक्तियों के मूल्यांकन और प्रबंधन में स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों को प्रशिक्षण देना।
* माता-पिता / देखभाल करने वालों और संचार संचार विकृतियों वाले व्यक्तियों के लिए मूल्यांकन, चिकित्सीय सेवाएं, मार्गदर्शन और परामर्श।
* राज्य और केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों, विशेषाधिकारों और रियायतों के बारे में हितधारकों को शिक्षित करना।
* संबद्ध स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के लिए अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।
* आन्तरिक और संबद्ध पेशेवरों के लिए सेमिनार, कार्यशालाएं, सम्मेलन, और अतिथि व्याख्यान आयोजित करना।
* नैदानिक अनुसंधान का संचालन करना और साक्ष्य आधारित अभ्यास को बढ़ावा देना।
* शिक्षकों, अभिभावकों / देखभाल करने वालों और संचार विकृतियों वाले व्यक्तियों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित करना।
* नैदानिक क्षेत्रों में नैतिक प्रथाओं के लिए मानक निर्धारित करना।
* संचार विकृतियों वाले व्यक्तियों से संबंधित विभिन्न चिकित्सा कानूनी मुद्दों के लिए अदालत में गवाह के रूप में सेवा करना।
* वाक-भाषा और श्रवण विकृतियों के क्षेत्र में नैदानिक सेवाओं के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक मॉडल केंद्र के रूप में कार्य करना।

**नैदानिक सेवाएँ: गतिविधियाँ**

* 1. **प्रशिक्षण:**
	**क) नैदानिक प्रशिक्षण:**नैदानिक सेवा विभाग वाक्, भाषा और श्रवण विकृति वाले व्यक्तियों के निदान और प्रबंधन के लिए AIISH से कर रहे डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर और डाक्टोरल छात्रों को नैदानिक प्रशिक्षण प्रदान करता है। छात्रों को व्यवहार मानकीकृत परीक्षणों और अत्याधुनिक उपकरणों का उपयोग करके विभिन्न प्रकार के संप्रेषण विकृति के मूल्यांकन और प्रबंधन में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त, उनके कौशल को शिक्षण सहायक सामग्री, रिपोर्ट के नैदानिक दस्तावेज, हस्तक्षेप योजनाओं की तैयारी, गृह प्रशिक्षण कार्यक्रमों और सार्वजनिक शिक्षा सामग्री के लिए भी विकसित किया जाता है।
	2. **ख) नैदानिक व्यावहारिक कक्षाएं:**सिद्धांत और व्यवहार के बीच की दूरी कम करने के लिए छात्र चिकित्सकों के लिए साप्ताहिक आधार पर कक्षाएं संचालित की जाती हैं। यह विभाग को नैदानिक क्षमता के उच्च मानकों को बनाए रखने में मदद करता है जो कि निर्धारित समय के भीतर ध्यान केंद्रित करके पूरा किया जाता है।
	3. **ग) स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए लघु अवधि प्रशिक्षण:**
	4. संप्रेषण विकृति वाले व्यक्तियों के पुनर्वास में सामूहिक कार्य शामिल है। इस संबंध में, अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम संप्रेषण विकृति वाले व्यक्तियों और संबद्ध क्षेत्रों के पेशेवरों के लाभ के लिए आयोजित किए जाते हैं। अभिविन्यास, मार्गदर्शन और प्रदर्शन पेशेवरों के विभिन्न समूहों को प्रदान किए जाते हैं जैसे, मेडिकल कॉलेजों से स्नातकोत्तर ईएनटी छात्रों, पीएचसी चिकित्सा अधिकारियों, और विशेष शिक्षकों, विशेष और नियमित स्कूलों के शिक्षकों, माता-पिता / देखभाल करने वाले अलग-अलग अभिभावक, नर्स और ग्रामीण क्षेत्र के लोग, स्वास्थ्य कार्यकर्ता।

**ii. क्लिनिकल सेवाएं:**
**क) नैदानिक सेवाएं:**

* सभी प्रकार के संप्रेषण विकृति के लिए, वाक् -भाषा रोगविज्ञानी और ऑडियोलॉजिस्ट के एक समूह द्वारा विभिन्न आयु और भाषा समूहों के लिए व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया ।
* ईएनटी डॉक्टरों, नैदानिक मनोवैज्ञानिकों, फिजियोथेरेपिस्ट और व्यावसायिक चिकित्सक जैसे संबद्ध पेशेवरों द्वारा पूर्णकालिक आधार पर परामर्श सेवाएं।
* बाल रोग विशेषज्ञ, न्यूरोलॉजिस्ट, फोनोसर्जन, प्लास्टिक सर्जन, प्रोस्थोडॉन्टिस्ट और ऑर्थोडॉन्टिस्ट जैसे संबद्ध पेशेवरों द्वारा अंशकालिक आधार पर परामर्श सेवाएं।
* संप्रेषण विकृति वाले व्यक्तियों और उनके देखभाल करने वालों के लिए परामर्श और मार्गदर्शन।

**ख. चिकित्सीय सेवाएं: लघु / दीर्घकालिक के लिए व्यक्तिगत और / या समूह के आधार पर चिकित्सीय सेवाएं प्रदान की जाती हैं। उनमे शामिल है,**

* श्रवण दोष, विशिष्ट भाषा हानि, मानसिक मंदता, मस्तिष्क पक्षाघात, आत्मकेंद्रित स्पेक्ट्रम विकार, वाचाघात आदि के लिए भाषा चिकित्सा
* अधिगम असमर्थता वाले व्यक्तियों के लिए पढ़ना और लिखना रिमेडिएशन प्रोग्राम ।
* धाराप्रवाह वक्ता वाले व्यक्तियों के लिए आर्टिक्यूलेशन थेरेपी, फांक होंठ और तालु, डिसरथ्रिया आदि।
* स्वर की समस्या वाले व्यक्तियों के लिए वॉयस थेरेपी।
* हकलाहट, अकड़न आदि से ग्रसित व्यक्तियों के लिए प्रवाह चिकित्सा
* न्यूरोमोटर समस्याओं वाले व्यक्तियों के लिए फिजियोथेरेपी।
* व्यावसायिक चिकित्सा और न्यूरोमाटर समस्याओं वाले व्यक्तियों के लिए संवेदी एकीकरण।
* सीमित मौखिक तौर-तरीकों का उपयोग करने वाले व्यक्तियों के लिए संवर्धित और वैकल्पिक संचार (ए ए सी)
* प्रशिक्षण।
* जरूरतमंद हितधारकों के लिए पत्राचार के माध्यम से मार्गदर्शन।

**iii. विशेष क्लीनिक / एकक**

* क्लिनिक विशेष रूप से संप्रेषण विकृति वाले व्यक्तियों के व्यापक मूल्यांकन और प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करके स्थापित किए गए हैं। उनमे शामिल है:
* संवर्धी एवं एवज़ एकक ( ए ए सी)
* ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकृति ए एस डी एकक
* भाषा - विकृतियों से ग्रसित वयस्क तथा वयोवृद्धों के लिए क्लिनिक (CAEPLD)
* फ्लुएंसी (प्रवाह ) एकक
* अधिगम असमर्थता क्लिनिक
* लिजनिंग ट्रेनिंग (एल टी) एकक
* फोनोलॉजी क्लिनिक
* वाक् चालन विकृति  के लिए विशेष क्लिनिक
* वाक् चालन संरचनात्मक न्यूनता चिकित्सा के लिए यूनिट (यू सोफा )
* वॉइस क्लिनिक

**अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम**

निम्नलिखित भारत के विभिन्न कॉलेजों के छात्रों की सूची है जो विभाग में तैनात किया गए:

* बी.एस सी इंटर्नशिप वाक् व् श्रवण
* विशेष शिक्षा में स्नातक
* पी जी  ई एन टी

**संपर्क:**
डॉ. संगीता एम.
क्लिनिकल रीडर और विभागाध्यक्ष - चिकित्सा सेवा
अखिल भारतीय वाक् श्रवण संस्थान,
मानसगंगोत्री, मैसूरु
कर्नाटक राज्य,
टेलीफोन: 91-0821-2502500
फैक्स: 91-0821-2510515
ग्रामस्‍: Speechearing

[**इलेक्ट्रानिक्स**](https://aiishmysore.in/hi/electronics)

* शिक्षा एवं प्रशिक्षिण
ख. आन्तरिक गतिविधियाँ
ग. बाहरी परामर्श सेवाएँ
[अनुशंधान](https://aiishmysore.in/hi/electronics-research.php)
क. पिछले 5 वर्षो में पूर्ण किये गए कार्य
ख. चालू प्रकल्प
ग.  बी.टेक. और एम.टेक. के लिए परियोजना की स्थिति. विश्वेसरैया प्रौद्योगिकी
[अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम](https://aiishmysore.in/hi/electronics-short-term-training-programs.php)
[आधारिक संरचना](http://aiishmysore.in/hi/electronics-infrastructure.php)

**उद्देश्य**

* विभाग का प्रमुख उद्देश्य प्रौद्योगिकी के उचित प्रबंधन से संस्थान में कुशल और गुणवक्ता सेवाएं सुनिश्चित करना है. यह प्रौद्योगिकी नियोजन, प्रौद्योगिकी अधिग्रह और प्रौद्योगिकी उन्नयन प्रक्रिया में हमारे संशाधनों के उचित उपयोग के माध्यम से महसूस किया जाता है।
* प्रस्तावना

विद्युतीय विभाग संस्थान की तकनीकी रीढ़ के रूप में कार्य करता है।विभाग में अभियंता अच्छी तरह से भाषाण और सुनवाई के क्षेत्र में सभी जैव-चिकित्सा उपकरणों के अभियांत्रिकी और अनुप्रयोग, दोनों में प्रशिक्षण किया जाता है।विद्युतीय विभाग संस्थान संचार विकारो और शोर अंकेक्षण और परमाणन वाले व्यक्तियों के लिए सहायक है।हमारी सेवाओं के लाभार्थियों में श्रावण यन्त्र, सहायक श्रावण यन्त्र और एएसी अन्य भाषण और श्रावण संस्थान, विशेष विद्यालय, उद्योग और आम जनता के उपयोगकर्ता भी शामिल है।

[**गतिविधियां**](https://aiishmysore.in/hi/electronics-activities.php)

**क. शिक्षा एवं प्रशिक्षिण**

* प्रौद्योगिकी स्नातक छात्रों के परियोजना कार्य के लिए वीआईटी विश्वविद्यालय, वेल्लोर, मणिपाल विश्वविद्यालय, मणिपाल और वीटीयूबेलगाम द्वारा मान्यता प्राप्त केंद्र।
* प्रौद्योगिकी स्नातकोत्तर छात्रों के परियोजना कार्य के लिए वीआईटी विश्वविद्यालय, वेल्लोर, मणिपाल  विश्वविद्यालय, मणिपाल और वीटीयूबेलगाम द्वारा मान्यता प्राप्त केंद्र।
* मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्नातक और विद्युतीय, इलेक्ट्रानिकी और संचार प्रौद्योगिकी स्नातक में डिप्लोमा धारकों के लिये शिक्षुता प्रशिक्षण के लिये प्रामाणित केन्द्र।
* श्रवणयन्त्र और कान का साँचा तकनीक में डिप्लोमा कार्यक्रम।

**ख. आन्तरिक गतिविधियाँ**

* दूरस्थ अध्ययन और पुनर्वसन कार्यक्रमों के लिये रूप रेखा, कार्यान्वयन और वीडियो सम्मेलन का प्रबंधन।
* निदान श्रवण विज्ञान उपकरणों का अंशशोधन ।
* वाक श्रवण में सभी तरह के जैव-चिकित्सा उपकरणों की मरम्मत, रखरखाव और देखभाल।
* डाटा और ध्वनि संचार माध्यम, कम्प्यूटर, विद्युत प्रणाली औरबिजली वितरण तंत्र का प्रबंधन और रखरखाव।
* सभी तरह केश्रवण यंत्रों की मरम्मत, रखरखाव और विद्युत ध्वनि संबंधी मूल्यांकन।
* ध्वनिक ध्वनि संबंधी मापन।
* वाक और श्रवण में स्वतकनीक द्वारा जैव-चिकित्सा उपकरणों का विकास।
* मानव संसाधन विकास।
* एडीआई परियोजना के तहत श्रवण यंत्रों को देना।
* रियायती योजनाओं के तहत सभी प्रकार के श्रवण यंत्रों को देना व उनका परिक्षण करना।

**ग. बाहरी परामर्श सेवाएँ**

* माँग केअनुरूप यंत्रों व उपकरणों के विकास के लिये पुनर्वसन प्रौद्योगिकी केन्द्र।
* संचार विकारों वाले व्यक्तियों की आवश्यकताओं के आधार पर यंत्रों और उपकरणों के विकास के लिए पुनर्वास इंजीनियरिंग केंद्र।
* औद्योगिक इकाइयों, मशीनों, दफ़्तर में उपयोग किये जाने वाले उपकरण, यातायातशोर, पर्यावरण शोर आदि का ध्वनि संबंधी मापन और ध्वनि ऑडिट प्रमाण पत्रों को प्रदान करना।
* निदान श्रवण विज्ञान उपकरणों का अंशशोधन और मरम्मत।
* श्रवण विज्ञान परिक्षण के लिये ध्वनि रहित कमरों को स्थापित करने में मार्गदर्शन।
* श्रवण यंत्रों और श्रव्यातामितिय पारक्रमण यंत्रों का विद्युत ध्वनि संबंधी मूल्यांकन।
* श्रव्‍यतामिति परीक्षण कक्ष का परीक्षण और प्रमाणन।

**संपर्क करें**
श्री एन.मनोहर एम.टेक
पाठक और विभागाध्यक्ष
फोननंबर: 2502205
ईमेल:manohar@aiishmysore.in
कार्यसमय : प्रातः 9 बजे से सायं 5.30 बजे तक  IST
कार्यदिवस : सोमवार से शुक्रवार तक

**सामग्री विकास विभाग**

सामग्री विकास विभाग के उद्देश्य

* विभिन्न संचार विकारों की रोकथाम, पहचान और प्रबंधन के संबंध में आम जनता और पेशेवरों के लिए सामग्री विकसित करने के मुख्य उद्देश्य के साथ मार्च 2003 में सामग्री विकास विभाग की स्थापना की गई थी। इसके अलावा, विभाग संचार विकार वाले व्यक्तियों के लिए उपलब्ध विभिन्न अधिकारों और कल्याणकारी उपायों के संबंध में सार्वजनिक शिक्षा सामग्री भी विकसित करता है। विभिन्न भाषाई पृष्ठभूमि के व्यक्तियों को सूचना प्रसारित करने के लिए, सामग्री को विभिन्न भारतीय भाषाओं में विकसित किया जाता है। विभाग में सामग्री विकास आमतौर पर मुख्य विभागों से, कार्यशालाओं के माध्यम से, या अन्य स्रोतों से जानकारी एकत्र करके किया जाता है। सामग्री को इस तरह से विकसित किया गया है कि सूचना का प्रसार विभिन्न माध्यमों जैसे वर्ड ऑफ माउथ, ओरिएंटेशन, नुक्कड़ नाटक, पैम्फलेट, बुकलेट, किताबें, भित्ति चित्र, वीडियो और रेडियो आदि के माध्यम से किया जा सकता है, विभाग डुप्लिकेट भी करता है। संचार विकारों वाले व्यक्तियों और अन्य हितधारकों के लिए वीडियो के रूप में उपलब्ध परीक्षण और चिकित्सा सामग्री और प्रशिक्षण सामग्री।

**सामग्री विकास गतिविधियाँ**

* विभाग शैक्षिक सामग्री के मुद्रण का कार्य करता है I
* फोटोग्राफी के माध्यम से संस्थान की गतिविधियों को कैप्चर करता है I
* संस्थान में किए गए नैदानिक प्रशिक्षण और विभिन्न गतिविधियों की वीडियो रिकॉर्डिंग I
* संचार विकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सार्वजनिक शिक्षा सामग्री की डिजाइनिंग और संस्थान द्वारा आयोजित सम्मेलनों, कार्यशालाओं, सेमिनारों के लिए प्रकाशन और प्रशिक्षण सामग्री। इसमें ब्रोशर, पैम्फलेट, पोस्टर, किताबें और बुकलेट, निमंत्रण कार्ड, प्रमाण पत्र, वार्षिक रिपोर्ट, सीडी स्टिकर, हैंडबिल और अन्य की तैयारी और डिजाइनिंग शामिल है।
* रचनात्मक और प्रभावी लेखन के माध्यम से विशेषज्ञों और लक्षित दर्शकों के बीच की खाई को पाटना I
* विभिन्न भाषाओं में संचार विकारों की रोकथाम, पहचान और प्रबंधन के संबंध में सार्वजनिक शिक्षा के लिए सामग्री विकसित करना I
* संचार विकारों वाले व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण सामग्री विकसित करना I
* मौजूदा सार्वजनिक शिक्षा और शिक्षण सामग्री का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद I

**संपर्क करें**
डॉ. के. येशोदा
एसोसिएट प्रोफ़ेसर, वाक् विज्ञान
विभागाध्यक्ष-सामग्री विकास विभाग
अखिल भारतीय वाक् श्रवण संस्थान
मानसगंगोत्री, मैसूरु – 570 006
टेलीफोन: 91-0821-2502255/2166
फैक्स: 91-0821-2510515
ग्रामस्‍: Speechearing
ईमेल:  kyeshoda@aiishmysore.in

कार्य-समय: सुबह 09: 00 से शाम 5:30 भारतीय मानक समय
कार्य दिवस: सोमवार से शुक्रवार
संपर्क संख्या (डीएमडी) – 0821 – 2502156/166

[**नैदानिक सेवाएं**](https://aiishmysore.in/hi/otorinolaryngology)

**विभाग की प्रस्तावना**

  अखिल भारतीय भाषण और श्रवण संस्थान में। ओटोरहिनोलारिंजोलॉजी विभाग संस्थान का एकमात्र चिकित्सा और शल्य चिकित्सा विभाग है। यह ईएनटी समस्याओं से पीड़ित रोगियों को ईएनटी डायग्नोस्टिक, चिकित्सीय, चिकित्सा प्रबंधन, सर्जिकल प्रक्रियाएं प्रदान करता है। विभाग ईएनटी वर्कस्टेशन, ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप और एंडोस्कोप जैसी सबसे उन्नत अत्याधुनिक सुविधा से लैस है। प्रतिदिन लगभग 200-250 रोगियों का मूल्यांकन किया जाता है। लगभग 6 अच्छी तरह से योग्य ईएनटी सर्जन और 5 अच्छी तरह से योग्य नर्सिंग अधिकारी हैं। विभाग ईएनटी कैंसर के लिए पूर्ण ऑन्कोलॉजिकल वर्कअप, विदेशी शरीर को हटाने, केराटोसिस ओबटुरान्स को आउट पेशेंट सेवाओं के रूप में हटाने जैसी प्रक्रियाएं प्रदान करता है। विभाग विभिन्न ईएनटी बीमारियों के लिए नाक एंडोस्कोपी, ओटो एंडोस्कोपी, लेरिंजियल एंडोस्कोपी, स्ट्रोबोस्कोपी भी प्रदान करता है। विभाग हर बुधवार को चक्कर के मूल्यांकन के लिए एक विशेष क्लिनिक भी चलाता है। यह लैब इलेक्ट्रोनिस्टाग्मोप्रेफी, वीडियोनिस्टाग्मोप्रफी और वी. ई. एम. पी. जैसी सुविधाएं प्रदान करती है। विभाग आउट-पेशेंट सेवाएं भी चलाता है और मैसूर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट से जुड़े केआर अस्पताल में प्रवेश और सर्जरी की आवश्यकता वाले ईएनटी रोगियों के लिए ऑपरेटिव और इनपेशेंट सुविधाएं प्रदान करता है। संस्थान के छात्रों और कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए विभाग में एक स्वास्थ्य केंद्र भी है।

             रोगियों के मूल्यांकन के लिए उपयोग किए जाने वाले नैदानिक उपकरणों को सख्त ऑटोक्लेविंग प्रक्रियाओं के तहत निष्फल कर दिया जाता है। बायोमेडिकल वेस्ट को भी एनएबीएच मानकों के अनुसार व्यवस्थित तरीके से निपटाया जाता है। विभाग पेंशन, रियायत, लाइसेंस, एलआईसी, प्रतिपूर्ति, और चिकित्सा प्रमाण पत्र जैसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए रोगियों के विकलांग प्रमाणीकरण के लिए सुविधाएं प्रदान करते हैं। विभाग संस्थान द्वारा आयोजित शिविरों में भी भाग लेता है। विभाग में सर्जनों के लिए उनके सर्जिकल कौशल में सुधार के लिए एक अस्थायी अस्थि विच्छेदन प्रयोगशाला भी है।

**विभाग के अभिभाषण और उद्देश्य**

**विभाग के अभिप्राय और उद्देष्य**

                  ओटोरहिनोलारिंजोलॉजी  विभाग संचार विकारों वाले रोगियों को प्रशिक्षण, नैदानिक सेवाएं, अनुसंधान, सार्वजनिक शिक्षा और पुनर्वास की पेशकश करने वाले चिकित्सा विज्ञान की एक अच्छी तरह से सुसज्जित, विशेष शाखा है। यह बीएससी को प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। (भाषण और श्रवण), एम.एससी. (ऑडियोलॉजी), एम.एससी. (एसएलपी), और लघु अवधि, एमएस ईएनटी स्नातकोत्तर के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम। यह संस्थान के प्राथमिक उद्देश्य में शामिल है।

                  संस्थान में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम करने वाले छात्रों को सिद्धांत पढ़ाया जाता है और वे संचार विकारों वाले रोगियों के उपचार में नैदानिक बाह्य रोगी प्रक्रियाओं का पालन करते हैं। संचार विकारों वाले रोगियों के नैदानिक लक्षण और लक्षण सूक्ष्मदर्शी और एंडोस्कोप जैसी सहायता से छात्रों को प्रदर्शित किए जाते हैं। छात्रों को अस्पताल की स्थापना में काम करने के लिए उन्मुखीकरण दिया जाता है और संचार विकारों वाले रोगियों के उपचार में बहु-विषयक टीम दृष्टिकोण पर जोर दिया जाता है।

**नैदानिक सेवाएं**

1**.** ओटोरहिनोलारिंजोलॉजी  विभाग कान, नाक और गले के विभिन्न रोगों के लिए नैदानिक सेवाएं प्रदान करता है। हर दिन औसतन लगभग 100 सूक्ष्म परीक्षण और 10 एंडोस्कोपी किए जाते हैं। विभाग        प्रतिदिन लगभग 200-250 रोगियों को नैदानिक, चिकित्सीय, शल्य चिकित्सा उपचार प्रदान करता है। कान के डिस्चार्ज की सक्शन क्लीयरेंस, विदेशी निकायों को हटाने, मोम को हटाने, वेध का
    रासायनिक दाग़ना जैसी छोटी प्रक्रियाएं की जाती हैं।
2. आवाज का एंडोस्कोपिक मूल्यांकन, लंबवत रोगियों का मूल्यांकन भी विभाग की गतिविधियाँ हैं।
3. ईएनटी विभाग मैसूर मेडिकल कॉलेज से जुड़े के.आर अस्पताल में एक अलग इकाई (एआईआईएसएच, ईएनटी 'डी' यूनिट) चलाता है, यह हर गुरुवार को ईएनटी आउट पेशेंट सेवाएं और शुक्रवार      को बड़े और छोटे ऑपरेशन करता है।
4. केआर अस्पताल में एआईआईएसएच के मरीजों के लिए इनपेशेंट सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।
5. संस्थान में जिन मरीजों को सर्जरी की आवश्यकता होती है, उनका मूल्यांकन किया जाता है और के.आर. में उनका ऑपरेशन किया जाता है।

**गतिविधियां**

प्रेषण विकृतियों से पीडितों की ज़रूरतों के मुताबिक दवाओं की सेवाएं प्रदान करनेवाली एक विशेष शाखा है आटोलरैंगोलजी. यह बी एस सी/एम एस सी(वाक्ल श्रवण) छत्रों को प्रशिक्षित करता है. इस क्षेत्र में अनुसंधान परियोजनाएं ली गई हैं. विभिन्न आटोलरैंगोलजी समस्याओं विशेषकर वाक् श्रवण विकृतियों हेतु मैसूरु मेडिकल कोलेज**,**मैसूरु से जुडे के.आर. अस्पताल में शल्य चिकित्सा दी गई.स्वैच्छिक संगठनों द्वारा संगठित शिविर (सार्वजनिक शिक्षा) में विभागीय कर्मचारियों का प्रतिभागित्व रहता है. वाक् श्रवण मामलों का पुनर्वास भी किया जा रहा है|

ए.अध्यापन एवं प्रशिक्षण

* बैचलर और मास्टर डिग्री छात्रों  को सम्प्रेषण  विकृतिका  कारण  बननेवाले  ई एन टी रोगों  के विषय  में  जानकारी देना।
* संप्रेषण विकृतिका कारण बननेवाले ई एन टी रोगों  से पीडित मरीज़ों को  निदानकारी, मेडिकल तथा शल्योपचार प्रदान करना
* संप्रेषण विकृतिका कारण बननेवाले ई एन टी रोगों हेतु ज़रूरतों पर आधारित अनुसंधान गतिविधियों को अंजाम देना |
* संप्रेषण विकृति का कारण बननेवाले  ई एन टी रोगों पर आम जनता को शिक्षित  करना ।

बी. नैदानिक सेवाएं
1.अ.भा.वा.श्र.सं. में नैदानिक सेवाएं

   • निदान

* ई एन टी जांच
* प्रक्रियाएं
* मेडिकल प्रबंधन
* विशेष क्लिनिक

**2.**संथान के मरीज़ों हेतु के.आर. अस्पताल में सेवाएं**/**

* के.आर. अस्पताल, मैसूरु में विभाग, एक यूनिट चलाता है जो मैसूरु मेडिकल कोलेज व अनुसंधान संस्थान से जुडा हुआ है
* के.आर अस्पताल, मैसूरु में विभाग एक आउट पेशियंट एकक (डी यूनिट) चलाता है
* रोगी सुविधा हेतु पुरुष वार्ड तथा महिला वार्ड में करीब 10 बिस्तर प्रदान किए गए
* ऑपरेशन थियेटर में प्रमुख एवं लघु शल्य प्रक्रियाओं तथा  आपातकालीन प्रक्रियाएं की जाती हैं।

सी. विशेष क्लिनिक
वर्टीगो क्लिनिक

* मल्टी-डिसिप्लिनरी टीम को शामिल करते हुए केंद्रीय v / s परिधीय वर्टिगो के विभेदक निदान के लिए एक परीक्षण बैटरी और नैदानिक प्रोटोकॉल विकसित करना।
* प्रत्येक प्रकार के वर्टीगो हेतु उपचार संबंधी मोड्यूल का विकास  करना
* जटिलताओं का आकलन, रोग का निदान तथा रोक्थाम हेतु उपायों का कार्य
* वैकल्पिक उपचार प्रोटोकोल की तुलना उच्च जोखिमवाले रजिस्ट्री का विकास

**संपर्क**
डॉ। राजेश्वरी। जी
प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, ई एन टी
अखिल भारतीय वाक् श्रवण संस्थान
मानसगंगोत्री, मैसूरु - 570 006
कर्नाटक राज्य
भारत
दूरभाषा  : 91-0821-2502240
फैक्स: 91-0821-2510515
तार: “Speech hearing’’
ई मेल: rajeshwarigovindaswamy18@gmail.com
कार्य- समय :प्रात: 09:00 से सायं 5:30 आई एस टी
कार्य दिवस:सोमवार से शुक्रवार तक

**विशेष शिक्षा विभाग**

विशेष शिक्षा विभाग की स्थापना अप्रैल 2005 में AIISH में की गई थी। विशेष शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति के लिए, विभाग में टास्क फोर्स को सर्वोत्तम शैक्षणिक सेवाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की पेशकश के लिए तैयार किया गया है। विभाग के कर्मचारी विशेष शिक्षा में डिप्लोमा, अंडर-ग्रेजुएट और पोस्ट-ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों के छात्रों को प्रशिक्षित करने, संस्थागत और सहयोगात्मक अनुसंधान का संचालन करने, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को विशेष शैक्षिक सेवाएं प्रदान करने, देखभाल करने वालों के लिए मार्गदर्शन और परामर्श देने, सूचना का प्रसार करने में शामिल हैं। अन्य पेशेवरों के लिए संसाधन,और देखभाल करनेवालों को सशक्त बनाने मे सक्रिय योगदान देते है।

[**अभिप्राय और उद्देष्य**](https://aiishmysore.in/hi/special-education-aims-and-objectives.php)

विशेष शिक्षा विभाग समावेशी शिक्षा की दिशा में प्रयासों के माध्यम से संचार विकार वाले बच्चों की शैक्षिक मुख्यधारा के अंतिम लक्ष्य की ओर प्रयास करता है। विभाग निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति के माध्यम से इस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है:

* संचार विकारों वाले बच्चों की विशेष शिक्षा के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास।
* संचार विकारों वाले बच्चों को गुणवत्तापूर्ण विशेष शिक्षा सेवाएं प्रदान करना।
* विशेष शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास कार्यों को बढ़ावा देना।
* देश भर के विभिन्न लक्षित समूहों के लिए विशेष शिक्षा, सेवाओं के उन्मुखीकरण और संवेदीकरण कार्यक्रमों, अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं के माध्यम से प्रासंगिक पहलुओं पर जानकारी का प्रसार करना।

**Total Staff strength: 22 + 6 = 28**

* विभागाध्यक्ष और एसोशिएट प्रोफेसर- 1 (नियमित)
* एसोशिएट प्रोफेसर - 2 (2- नियमित)
* विशेष शिक्षक- 16 (12 नियमित + 4  आउटसोर्स )
* सहायक ग्रेड III - 1 (अंशकालिक)
* मल्टी-टास्किंग स्टाफ– 2
* हाउसकीपिंग स्टाफ – 2

**Staff organization chart**

****

**[गतिविधियां](https://aiishmysore.in/hi/admin/file_att/1_research%20spl%20edn.pdf)**

 A. क. राष्ट्रीय/अंतरााष्ट्रीय सम्मेलनों/सेममनारों मेंप्रस्तुत शोध पत्र:01

पलनाटी मिजेता (2021). ऊटी, तममलनाडु मेंश्रिण दोष और रेफरल सेिाओं के बारे

मेंमशक्षकों का ज्ञान। 10 मार्ा 2021 को कें द्रीय मशक्षा संस्थान, एन सी ई आर

टी, भोपाल में आयोमजत, २१िीं सदी में मशक्षक मशक्षा: दृमि और काया पर

राष्ट्रीय सम्मेलन मेंप्रस्तुत ककया गया

B. बी. शोध पत्र प्रकामशत

i) राष्ट्रीय/अंतरााष्ट्रीय पमत्रकाओं मेंप्रकामशत पत्र: 08

मिजेता, पी. और उपाध्याय ए. के.(2019). श्रिण बामधत छात्रों के मलए रर्नात्मक

मूलयांकन अभ्यास. जनाल ऑफ मडसमबमलटी मनेजमेंट अँड ररहैमबमलटेशन, 5(1):

3-10.

मंजुला, पी. िी. और रमणाकु मारी, पी. िी.(2020). श्रिण दोष िाले पूिास्कू ली

बच्चों में बुमि के मापदंडों की रूपरेखा. इंटरनेशनल जनाल ऑफ इंइंजीन्यररंग,

अप्लाइड अँड मनेजमेंट साइनसेस पेरडैम, 54(11).

सुब्रमण्या, के.आर. और उपाध्याय ए. के.(2020). प्री-स्कू ल में श्रिण दोष िाले

बच्चों के बीर् सुनने और बोलने के कौशल के मिकास पर कहानी और तुकबंदी

के उपयोग पर एक सिेक्षण अध्ययन. जनाल ऑफ मडसमबमलटी मनेजमेंट अँड

ररहैमबमलटेशन, 6(1), 05-09.

कदव्या, डी. और उपाध्याय ए. के.(2020). श्रिण बामधत बच्चों के मलए स्मृमत कौशल

मिकमसत करने में कं प्यूटर सहायता प्राप्त मनदेश का उपयोग. जनाल ऑफ

मडसमबमलटी मनेजमेंट अँड ररहैमबमलटेशन, 6(1), 10-16

 रमणाकु मारी, पी. िी. और मंजुला, पी. िी. (2020). श्रिणबामधत प्राथममक

मिद्यालय के बच्चों को स्थान-मूलय की अिधारणा मसखाने के मलए कं प्यूटर सहायता प्राप्त मनदेश

की प्रभािशीलता का अध्ययन. इंटरनेशनल जनाल ऑफ एडुके शन अँड साइकोलोमजकल ररसर्ा,

9(2).

मिजेता, पी., नारायणा, यू.एल., और उपाध्याय ए. के.(2019). मुख्यधारा के स्कू लों में

कणाािता प्रत्यारोपण िालेबच्चों की प्राथममक मशक्षा: माता-मपता का दृमिकोण. जनाल ऑफ

नेहरू ग्राम भारती युमनिर्साटी 8(2), 83-87.

उपाध्याय ए. के., मिजेता, पी.,और सुब्रमण्या, के.आर. (2020). श्रिणबामधत पूिास्कू ली

बच्चों के बीर् पाठ्यर्याा गमतमिमधयों के माध्यम सेकौशल मिकमसत करनेकी प्रभािकाररता.

जनाल ऑफ मडसमबमलटी मनेजमेंट अँड ररहैमबमलटेशन, 6(2),23-32.

**विभाग का संपर्क विवरण:**
डॉ.आलोक कुमार उपाध्याय
एसोसिएट प्रोफेसर- विशेषशिक्षा
विभागाध्यक्ष-विशेषशिक्षा
अखिल भारतीय वाक श्रवण संस्थान मानसगंगोथ्री
मैसूर

#### वाक्-भाषा विज्ञान विभाग

#### 1.शिक्षण और प्रशिक्षण2.चिकित्सा सेवा3.बाहरी अनुसंधान4. सार्वजनिक शिक्षा अभिविन्यास / संवेदीकरण5. अत्याधुनिक उपकरण / सॉफ्टवेयर के साथ ढांचागत सुविधाओं के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित प्रयोगशालाएँ6. विधि चिकित्सा शास्त्र संबंधी वक्ता अभिज्ञान / देश में विभिन्न राज्यों के न्यायिक और पुलिस विभागों से मामलों का सत्यापन

[**गतिविधियाँ**](https://aiishmysore.in/hi/speech-language-sciences-activities.php)

वाक्-भाषा विज्ञान विभाग ने विविध गतिविधियाँ की हैं जैसे डिप्लोमा, स्नातक-पूर्व, स्नातक, डॉक्टरेट और पोस्ट-डॉक्टरेट स्तर पर जन शक्ति संसाधनों के विकास,  संस्थागत और सहयोगात्मक अनुसंधान का संचालन, संचार विकारों वाले व्यक्तियों को नैदानिक सेवाएं प्रदान करना, नैदानिक कार्यक्रम में छात्रों का मार्गदर्शन करना, और अन्य पेशेवरों के लिए सूचना और संसाधनों का प्रसार करना। विभाग का दृष्टिकोण वाक् और भाषा तंत्र और उसके कार्यों की गहन समझ के साथ भारत की विविध आबादी की सेवा करना है। वाक् और भाषा विज्ञान के क्षेत्र में उन्नति के साथ, विभाग में कार्यदल को प्रशिक्षण और नैदानिक कार्यक्रमों के लिए सर्वोत्तम संभव तकनीकी ज्ञान और अनुसंधान-आधारित सबूत पेश करने की दिशा में तैयार किया जाता है। इसके अतिरिक्त, विभाग का उद्देश्य भारत के विभिन्न सामाजिक- सांस्कृतिक और भाषाई आबादी से बच्चों और वयस्कों में वाक् और भाषा के विकारों की बेहतर समझ की सुविधा प्रदान करना है।

**विभाग के उद्देश्य:**

* वाक् और भाषा विज्ञान में बुनियादी अनुसंधान को आगे बढ़ाना।
* वाक् और भाषा विज्ञान में अंतर्विषयक अनुसंधान करने के लिए प्रशिक्षित मानव संसाधन उत्पन्न करना।
* वाक् और भाषा मापदंडों के मापनके लिए समान दिशा-निर्देश, प्रक्रिया, प्रोटोकॉल स्थापित करना।
* मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय और / या अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों और विभाग के उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक क्षेत्रों में सीखने के उच्च केंद्रों के अनुसंधान संस्थानों के साथ अनुसंधान के लिए सहयोगी नेटवर्क को बढ़ावा देना।
* राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संस्थानों के बीच नेटवर्किंग के माध्यम से भारत में वाक् और भाषा विज्ञान में अनुसंधान को बढ़ावा देना।
* वाक् और भाषा विज्ञान में अनुसंधान के लिए एक राष्ट्रीय शीर्ष केंद्र के रूप में सेवा करना, अन्य संस्थानों, एजेंसियों को वाक् और भाषा विज्ञान में बुनियादी और उन्नत तरीकों में अनुसंधान को बढ़ाने के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान करना।
* प्रकाशनों के माध्यम से वैज्ञानिक समुदाय के लिए वाक् और भाषा विज्ञान से संबंधित पहलुओं पर सूचना का प्रसार करना।

1**.शिक्षण और प्रशिक्षण**

डिप्लोमा पाठ्यक्रम

बी.एस सी (वाक् और श्रवण)

एम.एस सी (वाक्-भाषा दोष विज्ञान)

एम.एस सी (ऑडियोलॉजी)

पीजी डिप्लोमा- फॉरेंसिक स्पीच साइंस एंड टेक्नोलॉजी

डॉक्टरल और पोस्टडॉक्टरल स्तर

अल्पकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

पुनश्चर्या पाठ्यक्रम

**2.चिकित्सा सेवा**

निदान और पुनर्वास

पेशेवर आवाज की देखभाल

आत्म केंद्रित बच्चों (ऑटिज्म) के लिए श्रवण एकीकरण चिकित्सा

संचार विकारों का रोकथाम

**3.बाहरी अनुसंधान**

बाह्य परियोजनाएं

ए आई आई एस एच रिसर्च फंड द्वारा वित्त पोषित परियोजनाएं

डॉक्टरेट थीसिस के लिए डॉक्टरेट और डॉक्टरेट के बाद के उम्मीदवारों के लिए मार्गदर्शन

शोध प्रबंध के लिए मास्टर्स के छात्रों को मार्गदर्शन

PGDFSST के परियोजनाओं का मार्गदर्शन

**4. सार्वजनिक शिक्षा** अभिविन्यास / संवेदीकरण

आवाज की देखभाल पर अभिविन्यास / संवेदीकरण कार्यक्रम

संचार विकारों पर अभिविन्यास कार्यक्रम

सार्वजनिक शिक्षा के पुस्तिकाएँ विकसित करना

रेडियो की बात

**5. अत्याधुनिक उपकरण** / सॉफ्टवेयर के साथ ढांचागत सुविधाओं के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित प्रयोगशालाएँ

वाक् विज्ञान

भाषा विज्ञान

पेशेवर आवाज़ की देखभाल /प्रोफेशनल वॉयस केयर

 विधि चिकित्सा शास्त्र संबंधी वाक् अभिज्ञान / फोरेंसिक वाक् पहचान

वाक् क्रिया विज्ञान / स्पीच फिजियोलॉजी

स्नायु-जाल क्रिया विज्ञान / न्यूरो फिजियोलॉजी

ध्वनि विज्ञान

छंद शास्र

**6.** विधि चिकित्सा शास्त्र संबंधी वक्ता अभिज्ञान/ देश में विभिन्न राज्यों के न्यायिक और पुलिस विभागों से मामलों का सत्यापन

**संपर्क करें**

डॉ. टी. जयाकुमार

सह – प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष

अखिल भारतीय वाक् एवं श्रवण संस्थान,

मानसागंगोत्री, मैसूर– 570006, कर्नाटक राज्य, भारत

दूरभाष क्रमांक: 91-0821–2502253

फैक्स: 91-0821-2510515

ई-मेल:jayakumar@aiishmysore.in

कार्य-समय: सुबह 09:00 से शाम 5:30 बजे तक

कार्य दिवस: सोमवार से शुक्रवार

[**वाक्‍ - भाषा दोष**](https://aiishmysore.in/hi/speech-language-pathology)

#### विभाग की प्रस्तावना

विभाग मानव संसाधन विकास, अनुसंधान, नैदानिक सेवाओं और सार्वजनिक शिक्षा में निरंतर सुधार के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाले मानकों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है।

**विभाग के अभिप्राय और उद्देष्य**

* संचार विकारों के क्षेत्र में डिप्लोमा, स्नातक, मास्टर, पीएचडी और पोस्ट-डॉक्टरेट स्तरों पर गुणवत्तापूर्ण जनशक्ति का उत्पादन करना।
* संचार विकारों के क्षेत्र में समान वैश्विक मानकों के लिए मूल और अनुप्रयुक्त अनुसंधान का संचालन करना।
* संचार विकारों वाले व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना।
* सार्वजनिक-आधारित कार्यक्रमों का संचालन करना और सार्वजनिक और व्यावसायिक उपयोग के लिए गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा संसाधनों का विकास करना।

**शिक्षण और प्रशिक्षण**

विभाग के संकाय निम्नलिखित शैक्षणिक कार्यक्रमों में विभिन्न पाठ्यक्रमों को पढ़ाने में शामिल हैं:

वाक्-भाषा पैथोलॉजी में स्नातकोत्तर (M.Sc. Speech-Language Pathology)

 श्रवण विज्ञान में स्नातकोत्तर (M.Sc. Audiology)

 विशेष शिक्षा (श्रवण न्यूनता) में स्नातकोत्तर (M.S.Ed. (HI)

 श्रवण विज्ञान और वाक् - भाषा दोष विज्ञान में स्नातक (B.ASLP)

 विशेष शिक्षा (श्रवण न्यूनता) में स्नातक (B.S.Ed (HI)

स्पीच-लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के लिए नैदानिक भाषाविज्ञान में डिप्लोमा PGDCL-SLP)

 संचार का संवर्धित और वैकल्पिक रूप में डिप्लोमा (PGDAAC)

 श्रवण, वाक् - भाषा में डिप्लोमा (दूरी मोड के माध्यम से) (DHLS)

 ट्रेनिंग इन यंग डेफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग (DTYDHH)

विकासात्मक विकलांग बच्चों की देखभाल करने वालों के लिए सर्टिफिकेट कोर्स (C4D2)

संकाय स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री की पूर्ति के रूप में शैक्षणिक अनुभाग द्वारा संचालित जर्नल क्लब और नैदानिक सम्मेलनों के लिए छात्रों को मार्गदर्शन प्रदान करने में भी शामिल हैं। देश में कार्यरत विभिन्न पेशेवरों के ज्ञान और प्रशिक्षण के लिए हर साल कई सेमिनार / कार्यशालाएं और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। निदेशक से अनुमोदन के साथ निम्न स्वास्थ्य और पुनर्वास पेशेवरों के लिए लघु- अवधि प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं:

मेडिकल कॉलेजों से स्नातक ईएनटी छात्र

 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद् चिकित्सा अधिकारी और अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता

 विशेष शिक्षक

 बहरे के शिक्षक

 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के माता-पिता

 नियमित स्कूलों के शिक्षक

 नर्स और आधार स्तर स्वास्थ्य कार्यकर्ता

ये प्रशिक्षण कार्यक्रम संचार विकारों की प्रारंभिक पहचान और रोकथाम, संचार विकारों के लिए उपलब्ध सुविधाओं, वाक् - भाषा के सामान्य विकास, वाक् - भाषा विकार वाले व्यक्ति के परिवार के लिए परामर्श और विभिन्न वाक् - भाषा विकार के लिए गृह-प्रशिक्षण कार्यक्रमों जैसे विषयों की एक श्रृंखला को सम्मिलित करते हैं।

नैदानिक गतिविधियाँ और विशेष इकाईयाँ

वाक् भाषा दोष, स्पीच एंड हियरिंग पाठ्यक्रम के दो प्रमुख शाखाओं में से एक है। विभाग विभिन्न प्रकार के संचार विकारों वाले व्यक्तियों के मूल्यांकन, निदान, परामर्श और प्रबंधन में शामिल है। संचार दोष विकार वालों के विस्तृत मूल्यांकन में वाक् कौशल समस्याओं (जैसे कि उच्चारण, वाक् धाराप्रवाहिता और स्वर विकार), भाषा की समस्याएं (जैसे विलंबित भाषा विकास, मानसिक प्रतिशोध, मस्तिष्क पक्षाघात, विशेष भाषा दोष और वाचाघात) और संबंधित विकार (जैसे निगलने में और मौखिक संरचनाओं में कठिनाई) शामिल है। केस इतिहास से शुरू करके विशेष प्रक्रियाओं और वाक् भाषा चिकित्सा परीक्षा का उपयोग करते हुए, निदान पर पहुंचने के लिए कई परीक्षणों का उपयोग किया जाता है। नियमित आधार पर संचार विकार वाले व्यक्तियों के मूल्यांकन और प्रबंधन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर परामर्श और मार्गदर्शन सेवाएं ग्राहकों और उनके परिवारों को प्रदान की जाती हैं|

विभाग संबन्धित संप्रेषण विकृतियों व थीम के विशेषकृत मूल्यांकन और प्रबंधन प्रदान करने के लिए सात विशेषकृत नैदानिक इकाइयां चलाता है| इन इकाइयों का मुख्य लक्ष्य व्यक्तिगत आधार पर प्रभावी संचार प्रदान करना है। वाक् भाषा दोष विभाग इन विकारों से संबंधित विशिष्ट विषयों पर संसाधन सामग्री और सार्वजनिक शिक्षा सामग्री के विकास में भी शामिल है। विभाग द्वारा संचालित विशेष नैदानिक इकाइयाँ निम्नलिखित हैं:

ऑगमेंटेटिव एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन (AAC) इकाई: यह एक विशेष इकाई है जो संचार के ऑगमेंटेटिव एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन तरीकों पर सीमित मौखिक संचार कौशल वाले लोगों का चयन करती है और उन्हें प्रशिक्षण देती है। यह इकाई एएसी में व्यक्तियों की उम्मीदवारी का आकलन करती है, उन्हें एएसी यंत्र का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षण देती है और एएसी में अनुसंधान भी करती है।

ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (एएसडी) इकाई: यह इकाई ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार (एएसडी) / परवेसिव डेवलपमेंट विकार (पीडीडी) वाले व्यक्तियों के अनुसंधान, मूल्यांकन, निदान और प्रबंधन पर केंद्रित है। यह इकाई संबंधित विभिन्न मुद्दों पर शोध भी करता है। व्यापक प्रबंधन विकल्प यहां उपलब्ध हैं जिनमें वाक् भाषा चिकित्सा, ऑक्यूपेशनल चिकित्सा और संवेदी एकीकरण प्रशिक्षण शामिल हैं|

भाषा दोष के साथ वयस्क और बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए क्लिनिक (CAEPLD): यह विशेष रूप से वाचाघात, मस्तिष्क चोट, मनोभ्रंश और अन्य संचार विकारों वाले वयस्क और बुजुर्ग व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता के आकलन, पुनर्वास और सुधार पर केंद्रित है।

डिस्फ़ेजिया यूनिट: डिस्फ़ेजिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति को भोजन और तरल पदार्थ निगलने में कठिनाई होती है। यह विशेष क्लिनिक अत्याधुनिक उपकरणों और प्रशिक्षित पेशेवरों से सुसज्जित है और वे निगलने की कठिनाई वाले व्यक्तियों की पहचान, मूल्यांकन और पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

मोटर स्पीच डिसऑर्डर (MSD) के लिए विशेष क्लिनिक: एमएसडी क्लिनिक का प्राथमिक उद्देश्य मोटर स्पीच डिसऑर्डर वाले लोगों (यानी जो स्ट्रोक, चोट, संक्रमण, ट्यूमर या मस्तिष्क पक्षाघात के कारण तंत्रिका तंत्र की क्षति से बोलने में असमर्थ हैं) की सेवा करना है ।

स्ट्रक्चरल ओरो-फेशियल एनोमलीज (यू-एसओएफए) के लिए इकाई: यह इकाई मरम्मत किए गए छिद्र होंठ और तालु और अन्य ओरोफेशियल विसंगतियों के साथ ग्राहकों को व्यापक प्रबंधन सेवाएं प्रदान करती है। इस इकाई के टीम सदस्यों में प्लास्टिक सर्जन स्पीच - लैंग्वेज पैथोलोजिस्ट और प्रोस्टोडोन्टिस्ट शामिल हैं। ओरोफेशियल विसंगतियों वाले व्यक्तियों के लिए मूल्यांकन और प्रबंधन व्यक्तिगत आधार पर किया जाता है। छिद्र होंठ और / या तालू की मरम्मत के लिए सर्जरी से पहले ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के कृत्रिम अंग भी यहां तैयार किए जाते हैं।

लर्निंग डिसेबिलिटी क्लिनिक: सीखने की कठिनाइयों वाले बच्चों को व्यापक मूल्यांकन और प्रबंधन प्रदान करना इस इकाई का उद्देश्य है। प्रबंधन रणनीति पर पहुंचने से पहले सीखने की विकलांगता के लक्षणों वाले बच्चों को उनकी क्षमताओं को समझने के लिए कई परीक्षणों पर मूल्यांकन किया जाता है। इस इकाई में टीम के सदस्यों में वाक-भाषा रोगविज्ञानी, मनोवैज्ञानिक और विशेष शिक्षक शामिल हैं।

**संपर्क करें**

डॉ. एस. पी. गोस्वामी

प्रोफेसर ऑफ स्पीच पैथोलॉजी और विभागाध्यक्ष (एच ओ डी)

वाक्‍ - भाषा दोष विभाग

अखिल भारतीय वाक्‍ श्रवण संस्थान

मानसगंगोत्री, मैसूर – 570 006

कार्यालय का फ़ोन नंबर: 0821-2502320

ईमेल: goswami16@aiishmysore.in

फैक्स: 91-0821-2510515

ग्राम: Speechearing

कार्य समय: सुबह 09:00 से शाम 5:30 बजे तक

कार्य दिवस: सोमवार से शुक्रवार

[**संप्रेषणविकृतीरोकथामविभाग (पीओसीडी)**](https://aiishmysore.in/hi/prevention-of-commucation-disorders-%28pocd%29.php)

#### विभाग के उद्देश्य और उद्देश्य

#### संप्रेषण विकृती रोकथाम विभाग (पीओसीडी) एक विस्तार-क्षेत्र (आउटरीच) विभाग है जिसे वर्ष 2008 में, लोगों तक सीधे पहुंचने और विभिन्न संचारविकारों की रोकथाम की सुविधा के मुख्य आदर्श से, अखिल भारतीय वाक श्रवण संस्थान (आईश), मैसूर के परिसर में शुरू किया गया था। यह विभाग प्रमुख रूप से संचार विकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने, उनके रोकथाम, प्रारंभिक पहचान और संचार विकारों वाले व्यक्तियों के प्रबंधन पर केंद्रित है।

#### संचार विकृति रोकथाम विभाग (पीओसीडी) वर्ष 2008 में अखिल भारतीय वाक् तथा श्रवण संस्थान, मैसूर के परिसर में शुरू किया गया एक आउट-रीच विभाग है, जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों तक सीधे पहुंचना और विभिन्न संचार विकारों की रोकथाम को सुविधाजनक बनाना है। विभाग मुख्य रूप से संचार विकारों, रोकथाम, संचार विकारों वाले व्यक्तियों की शीघ्र पहचान और प्रबंधन के बारे में जागरूकता पैदा करने पर केंद्रित है।

#### प्राथमिक रोकथाम - संवेदीकरण/अभिविन्यास कार्यक्रमों/वेबिनार के माध्यम से जनता को शिक्षित करना जिससे समाज के विभिन्न वर्गों के बीच संचार विकारों पर जागरूकता पैदा हो सके

#### माध्यमिक रोकथाम - विभिन्न स्क्रीनिंग और नैदानिक ​​प्रक्रियाओं के माध्यम से संचार विकारों की प्रारंभिक पहचान और मूल्यांकन

#### तृतीयक रोकथाम - संचार विकारों का शीघ्र पुनर्वास और प्रबंधन

#### मानव संसाधन विकास - संचार विकारों की रोकथाम, शीघ्र पहचान और पुनर्वास के लिए संचार विकारों के क्षेत्र में यूजी और पीजी छात्रों के आउट-रीच नैदानिक ​​​​प्रशिक्षण

#### महामारी विज्ञान अनुसंधान

**संपर्क करें**

डॉ. एन. श्रीदेवी

प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष

ई-मेल: nsreedevi@aiishmysore.in

दूरभाष: 91-0821-2502-263/312

फैक्स: 91-0821-25101515

ईमेल: nsn112002@yahoo.com

कार्य-समय: प्रातः 09:00 am to सायं 5:30 pm IST

कार्य दिवस: सोमवार से शुक्रवार (केंद्रीय सरकार को छोड़कर)

[**टीसीपीडी**](https://aiishmysore.in/hi/tcpd)

टेली-सेंटर का उद्देश्यसूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के माध्यम से संचार विकारों वाले व्यक्तियों को मूल्यांकन और पुनर्वास सेवाएं प्रदान करना हैं।
टेली सेंटर के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल हैं –

* नैदानिक सेवाएं : सम्प्रेषण न्यूनता वाले व्यक्तियों को प्रौद्योगिकी के माध्यम से मूल्यांकन एवं पुनर्वास का सेवा दिलाना।
* लोक शिक्षा एवं जनजागरण : संचार विकारों के संबंध में संसाधन सामग्री का विकास और विभिन्न जन जागरूकता और टेली-ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित करना
* मानव संसाधन विकास:  स्नातक और स्नातकोत्तर विद्यार्थीयों के लिए नैदानिक प्रशिक्षण
* अनुसंधान: विभिन्न अनुसंधान गतिविधियों का संचालन करना।

अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें

[**अभिप्राय और उद्देष्य**](https://aiishmysore.in/hi/departments-tcpd-objective)

टेली-सेंटर का उद्देश्यसूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के माध्यम से संचार विकारों वाले व्यक्तियों को मूल्यांकन और पुनर्वास सेवाएं प्रदान करना हैं।
टेली सेंटर के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल हैं –

* नैदानिक सेवाएं : सम्प्रेषण न्यूनता वाले व्यक्तियों को प्रौद्योगिकी के माध्यम से मूल्यांकन एवं पुनर्वास का सेवा दिलाना।
* लोक शिक्षा एवं जनजागरण : संचार विकारों के संबंध में संसाधन सामग्री का विकास और विभिन्न जन जागरूकता और टेली-ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित करना
* मानव संसाधन विकास:  स्नातक और स्नातकोत्तर विद्यार्थीयों के लिए नैदानिक प्रशिक्षण
* अनुसंधान: विभिन्न अनुसंधान गतिविधियों का संचालन करना।

अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें

####  गतिविधियों

#### विश्व श्रवण दिवस, 2021

#### विश्व श्रवण दिवस, 2021 के अवसर में , टीसीपीडी विभाग ने विभिन्न विषयों के कार्यक्रमों में 7 लाइव फोन इन कार्यक्रम का आयोजन किया था। कार्यक्रम में श्रवण दोष से संबंधित विभिन्न मुद्दों को संबोधित किया गया और विशेषज्ञ और संसाधन व्यक्ति फोन कॉल के माध्यम से जनता के लिए आसानी से उपलब्ध थे। कार्यक्रमों को संस्थान के आधिकारिक फेसबुक पेज पर लाइव स्ट्रीम किया गया। कार्यक्रमों में फोन पर चर्चा के विभिन्न विषय थे:

#### कानों का देखभाल (08.01.2021)

#### मध्य कान के संक्रमण और उसके परिणाम (22.01.2021)

#### जीवनशैली और श्रवण दोष (05.02.2021)

#### बच्चों में खराब शैक्षणिक प्रदर्शन: पहचान और प्रबंधन (19.02.2021)

#### स्पंदना की सफलता की कहानी (26.02.2021)

#### विश्व श्रवण दिवस के महत्व (03.03.2021)

#### श्रवण दोष वाले व्यक्तियों का पुनर्वास (19.03.2021)

#### विश्व आटिज्म जागरूकता माह, 2021

#### विश्व आटिज्म जागरूकता माह के अवसर पे , टीसीपीडी विभाग के साथ-साथ एएसडी इकाई ने कई गतिविधियों का आयोजन किया जैसे की लाइव फोन इन कार्यक्रम , टेली-ओरिएंटेशन, सार्वजनिक जागरूकता वीडियो का विकास और एलईडी डिस्प्ले के लिए पोस्टर, आम जनता को एएसडी के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से संस्थान के प्रशासनिक ब्लॉक में नीली बत्ती का प्रयोग आदि ।

#### विभाग द्वारा आम जनता को लक्षित करने वाले कार्यक्रमों में 2 लाइव फोन थे जहां विशेषज्ञ फोन कॉल के माध्यम से उनके द्वारा आसानी से उपलब्ध थे और उन कार्यक्रमों को संस्थान के आधिकारिक फेसबुक पेज में लाइव स्ट्रीम किया गया था।

#### विश्व आटिज्म जनचेतना दिवस के महत्त्व (01.04.2021)

#### एक माँ और उनकी आटिज्म हुई बच्ची के सफ़र (23.04.2021)

#### केन्द्रीय विद्यालय के शिक्षकों को टेली-ओरिएंटेशन

#### स्कूल के बच्चों में संचार विकारों पर केन्द्रीय विद्यालय के शिक्षकों में जागरूकता पैदा करने के लिए टेली-ओरिएंटेशन का आयोजन किया गया था। देश भर से 22 केन्द्रीय विद्यालय के शिक्षक इस कार्यक्रम से लाभान्वित हुए। ..... कुछ झलक..

#### संचार विकारों का परिचय (वाक् -भाषा और श्रवण विकार)

#### ई-विद्यालोक स्वयंसेवी समूह के लिए टेली-ओरिएंटेशन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम से 77 प्रतिभागियों ने लाभ उठाया। ... कुछ झलक

**संपर्क करें**

डॉ. जयश्री सी शांबल,

सह-प्रोफेसर और प्रमुख – टीसीपीडी,

अखिल भारतीय वाक् और श्रवण संस्थान मानसागंगोत्री मैसूर - 570 006

कर्नाटक राज्य, भारत टेलीफोन: 0821-2502-532 / 536

 ईमेल: jshanbal@aiishmysore.in

 jshanbal@yahoo.co.in

 कार्य समय: सुबह 09:00 से शाम 5:30 बजे तक कार्य

दिवस: सोमवार से शुक्रवार (केंद्रीय सरकार के अवकाश को छोड़कर)

#### सुविधाएं

#### सुविधाएं\_ अतिथि गृह

**सुविधाएं\_ अतिथि गृह**
**अतिथि गृह**
संस्थान में दो अतिथि गृह, अशोका अंतराष्ट्रीय अतिथि गृह (IGH) और आइश अतिथि गृह हैं। दोनों अतिथि गृह मुख्य रूप से संस्थान के आधिकारिक अतिथियों के लिए हैं। हालांकि, उन्हें निजी उद्देश्यों के लिए भी बुक किया जा सकता है। ऐसी बुकिंग अनंतिम होगी और यदि संस्थान को अपने उपयोग के लिए कमरे की आवश्यकता होगी तो संस्थान  आवेदक / आगंतुक को पूर्व सूचना के साथ किसी भी समय रद्द करने के लिए उत्तरदायी होगी।

**अंतराष्ट्रीय अतिथि गृह**
अशोका अंतराष्ट्रीय अतिथि गृह (IGH) संस्थान के पंचवटी परिसर में स्थित है। इसमें 15 वातानुकूलित डबल बिस्तर वाले कमरे हैं।
**आवंटन के लिए पात्र व्यक्ति**
व्यक्तियों की निम्नलिखित श्रेणियां आईजीएच (IGH) आवास के लिए आवेदन करने के लिए पात्र हैं।
• आइश स्टाफ और छात्र (आधिकारिक और व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए)
• आइश में ड्यूटी पर आधिकारिक
• सेवा में राज्य / केंद्र सरकार के कर्मचारी (निजी / आधिकारिक प्रवास के लिए)
• प्रवेश परीक्षा के लिए अभ्यर्थी। आइश में सेमिनार के साक्षात्कार और प्रतिभागी
• अन्य शैक्षणिक संस्थान और स्वैच्छिक संगठन (उनके अधिकारियों के लिए)

**ऑनलाइन दर्ज (बुकिंग) करना**
**डाउनलोड  प्रपत्र (फॉर्म)**

**आइश अतिथि गृह**
आइश अतिथि गृह संस्थान के मुख्य परिसर (नैमिषम) में स्थित है। इसमें 8 वातानुकूलित डबल-बेड और गैर- वातानुकूलित कमरे हैं।

**आवंटन के लिए पात्र व्यक्ति**
व्यक्तियों की निम्नलिखित श्रेणियां आईजीएच (IGH) आवास के लिए आवेदन करने के लिए पात्र हैं।
• आइश स्टाफ / छात्र (आधिकारिक और व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए)
• आइश में ड्यूटी पर आधिकारिक
• आइश पूर्व छात्र / सेवानिवृत्त कर्मचारी (स्वयं के ठहरने के लिए)
हमारे अशोका अंतराष्ट्रीय अतिथि गृह में आवास के लिए आवेदन करने के लिए उनके आधिकारिक (आइश के अलावा) और व्यक्तिगत यात्राओं पर अन्य राज्य और केंद्रीय शासन के कर्मचारियों से अनुरोध किया जाता है।

**ऑनलाइन दर्ज (बुकिंग) करना**
**डाउनलोड  प्रपत्र (फॉर्म)**

**हॉस्टल**

दो छात्रावास हैं - लड़कों के लिए एक छात्रावास और लड़कियों के लिए एक छात्रावास। चयनित उम्मीदवारों को छात्रावास आवास प्रदान किया जाएगा। बाहरी छात्रों का छात्रावास में रहना अनिवार्य है।

आवास सिंगल, डबल या ट्रिपल रूम से सुसज्जित सुविधा होगी। छात्रावास के शुल्क निम्नलिखित हैं।

छात्रावास शुल्क



**छात्रावास आवास के लिए शुल्क**

को छात्रावास में रहने वालों को साझा आधार पर चलने वाले मेस में अनिवार्य रूप से शामिल होना चाहिए। निदेशक द्वारा नियुक्त वार्डन छात्रावासों पर सामान्य पर्यवेक्षण करेगा। छात्रावास में रहने वालोंछात्रावास के नियमों और विनियमों का पालन करना चाहिए।

**संपर्क**

**पुरुषों का छात्रावास**

डॉ. सुजीत कुमार सिन्हा

वार्डन और

एसोसिएट प्रोफेसर, ऑडियोलॉजी विभाग

पीएच ऑफ (एक्सट): 2568

ई-मेल: sujitks5@gmail.com

**महिला छात्रावास**

डॉ चांदनी जैनी

वार्डन और

पाठक, ऑडियोलॉजी विभाग

पीएच ऑफ (एक्सट): 2358

ई-मेल: चांदनी@aiishmysore.in

 सुश्री प्रियदर्शिनी

सहायक वार्डन और

रिसर्च स्कॉलर, ऑडियोलॉजी विभाग

पीएच ऑफ (एक्सट): 2190

ई-मेल: aiish.kapila.lh@gmail.com

**कुटीरा**

संरचना

आईश कुटीरा परिसर (शिविर) के भीतर एक अलग भवन में स्थित है। इसमें बारह डबल कमरे और दो डॉर्मिटरी हैं। प्रत्येक डबल रूम में दो खाट (बेडेड खाट), एक कुर्सी और एक टेबल, पंखा और ट्यूब लाइट, कपड़े की हैंगर की सुविधा है।

प्रवेश का अधिकार

आईश कुटीरा में रहने वालों के लिए प्रवेश के अधिकार सुरक्षित हैं। अधिभोग (कब्जे) और आवंटन में वरीयता उन क्लाइंटों को दी जाती है, जो आईश में चिकित्सा सेवाओं, आईश में जाने वाले छात्र, कार्यशालाओं के प्रतिभागी, आईश द्वारा आयोजित सेमिनार का लाभ उठाते हैं। किसी को या उसके बिना किसी भी व्यक्ति को सुविधा के आवंटन की अनुमति देने या वापस लेने का अधिकार निदेशक के पास है।

कर्मचारी

जबकि आईश कुटीरा के समग्र कामकाज का समन्वय श्री मल्लिकार्जुन, सुरक्षा अधिकारी द्वारा किया जाता है।

नोटः संरचना, टैरिफ और शर्तें एवं निबंधन सहित कुटीरा में आवास से संबंधित अन्य विवरण के लिए श्री मल्लिकार्जुन, सुरक्षा अधिकारी, संरचना, संपर्क किया जा सकता है।

टैरिफ़

 दिन के रूप में गिने जाने वाले 24 घंटे के चक्र पर रहने वालों के लिए प्रचलित टैरिफ निम्नलिखित है। प्रत्येक रात ठहरने को एक दिन के लिए टैरिफ संग्रह के बराबर गिना जाता है। हालांकि, एक दिन के दौरान भी 12 घंटे से अधिक समय की यात्रा को एक दिन के रूप में माना जाता है और उसके बाद शुल्क लिया जाता है।

संस्थान के गैर-आधिकारिक आगंतुकों के लिए



गणना किए गए टैरिफ को अग्रिम रूप से एकत्र किया जाता है, संस्थान के खाते के उपयुक्त प्रमुखों को कुटीरा में कमरों के आवंटन से पूर्व रसीद दी जाती है। आगंतुकों को छुट्टियों पर वास (स्थान) दिए जाने के मामले में, अग्रिम रूप से एकत्र की गई राशि, प्रभारी और / या सहायक द्वारा अगले कार्य दिवस पर संस्थान के सामान्य नकद अनुभाग में जमा करने से पहले रखी जाती है। किसी भी परिस्थिति में टैरिफ की प्रचलित दरों में कोई रियायत या छूट की अनुमति नहीं है।

प्राप्त भुगतान आम तौर पर रद्द और धनवापसी को अस्वीकृत कर दिया जाता है। हालाँकि, वास्तविक मामलों में, और अतिथि से लिखित अनुरोध के बाद, प्रभारी और / या सहायक, आइश के निदेशक से इस प्रकार के दावों के वापसी के लिए अंतिम अनुमोदन के लिए आवेदन अग्रेषित कर सकते हैं,।

निदेशक के पास प्रभारी, और / या सहायक से सिफारिश के बावजूद या उसके बिना कोई कारण बताए, अनुमोदन, अस्वीकार, अनुमति या भाग-भर या पूर्ण रूप से वापसी का एकमात्र अधिकार सुरक्षित है। निदेशक के पास, प्रभारी और / या सहायक से सिफारिश के बावजूद या उसके बिना कोई कारण बताए, अनुमोदन, अस्वीकार, अनुमति या अंश-भर या पूर्ण रूप से वापसी का एकमात्र अधिकार सुरक्षित है।

प्रोटोकॉल और शिष्टाचार

आगंतुकों को आइश कुटीरा में इस धारणा के तहत कमरे आवंटित किए जाते हैं कि सुविधा का उपयोग नागरिक इरादें और जिम्मेदार या सभ्य आचरण के साथ किया जा रहा है । किसी भी परिस्थिति में, परिसर का उपयोग असभ्य आचरण या गतिविधियों के लिए नहीं किया जाना चाहिए जो सरकारी संपत्ति की प्रतिष्ठा को कम कर सकते हैं। सुविधा की संपत्ति को प्रतिबंधित करना निषिद्ध है। संपूर्ण संस्थान सुविधा के अनुसार खुद को 'धुआं मुक्त क्षेत्र' घोषित करने में गर्व करता है। उपयोगकर्ताओं को हमेशा उचित माध्यम से अपनी कष्टों या शिकायतों का हवा देने के लिए स्वागत है।

निबंधन एवं शर्तें

• डबल रूम में केवल दो वयस्क और एक बच्चा रह सकता है

• खाना पकाने की अनुमति नहीं है

• आवास केवल 15 दिनों के लिए दिया जाएगा

• अधिक जानकारी के लिए कृपया कार्य समय (सुबह 9 बजे से 5.30 बजे) के दौरान संपर्क करें।

• श्री मल्लिकार्जुन, सुरक्षा अधिकारी, फोन.नंबर : 0821- 250135

**कैंटीन**

अखिल भारतीय वाक् और श्रवण संस्थान में कर्मचारियों और छात्रों की सुविधा के लिए तमाम व्यवस्थाओं के साथ एक कैंटीन स्थित है। इसमें एक आधुनिक रसोईघर है जिसमें सर्वोत्तम सुविधाएं हैं और भोजन सुबह 9 बजे से शाम 5.30 बजे तक परोसा जाता है। यहां शाकाहारी भोजन ही परोसा जाता है।

**संपर्क करें**
डॉ. एन. देवी
ऑडियोलॉजी में रीडर
ऑडियोलॉजी विभाग
कैंटीन समिति के अध्यक्ष
टेलीफोन: 0821- 2502359
ईमेल: deviaiish@gmail.com

[**विस्तृत कार्यक्रम**](https://aiishmysore.in/hi/camps)

अखिल भारतीय वाक् श्रवण संस्थान, मनसागंगोत्री, मैसूर - स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में एक प्रमुख संस्थान श्रवण बाधित लोगों के लिए प्रशिक्षण एवं नैदानिक ​​सेवाएं प्रदान कर रही है ऐसे संगठनों के अनुरोध पर विभिन्न स्थानों पर ऐसे दिव्यांगों के लिए शिविरों के संचालन / आयोजन में कल्याणकारी कार्यकलापों के रुप में गैर-सरकारी संगठनों और अन्य सामाजिक संगठनों की सहायता भी कर रहा है। संस्थान नैदानिक ​​सेवाओं के लिए उपकरणों के साथ-साथ पेशेवरों / तकनीशियनों की एक टीम को नियुक्त करके और या तो मुफ्त में / भुगतान पर जरूरतमंद लोगों के लिए अच्छी श्रवण यंत्र उपकरणों के रुप में (यदि मौजूद हो तो) आवश्यक प्रमाण पत्र जारी करने के लिए ऐसी कल्याणकारी गतिविधियों में शामिल होने में आनंद महसूस करता है।

टीम शिविरों के दौरान निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करेगी:

• स्क्रीनिंग / निदान

• परामर्श

• उचित दवाओं को निर्धारित करना

• श्रवण यंत्रों का वितरण

• सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई विभिन्न सुविधाओं का लाभ उठाने / दावा करने के लिए बिगड़ा और मानसिक मंद व्यक्तियों को सुनने के लिए प्रमाण पत्र जारी करना

• ईयरमोल्ड प्रभाव को लेना

शिविरों का आयोजन कैसे करें?

अ.भा.वा.श्र.सं. की सेवाओं का लाभ उठाने के इच्छुक कल्याणकारी संगठन आइश के निदेशक को ई-मेल, पत्र से लैस पते पर पत्र लिख सकते हैं। हालांकि, संगठनों को शिविरों के संचालन के लिए अ.भा.वा.श्र.सं. द्वारा नियुक्त कर्मियों को निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करनी पड़ सकती हैं।

• प्रतिनियुक्त सभी कर्मचारियों के लिए (और लगभग 15 से 20 कर्मचारी सदस्य)

• पेशेवरों / तकनीशियनों के स्तर के लिए उपयुक्त आवास और बोर्डिंग जैसे स्थानीय आतिथ्य।

• 4 संख्या के परीक्षण के लिए पॉवर पॉइंट के साथ बिना शोर की गड़बड़ी के शांत कमरे।

• मूल्यांकन 4 के लिए मेज और कुर्सियों के साथ कमरे।

• आवश्यकतानुसार स्वयंसेवक।

[**श्रवण संरक्षण कार्यक्रम**](https://aiishmysore.in/hi/hearing-conservation-programs)

स्वास्थ्य सभी के लिए भारत सरकार का एक प्रमुख लक्ष्य है, जिसमें श्रवण हानि की रोकथाम भी शामिल है। श्रवण वाक् और भाषा के विकास, संप्रेषण, शिक्षा और नौकरी के स्थानों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए, श्रवण हानि की रोकथाम आवश्यक हो जाती है जिसे तीन स्तरों पर किया जा सकता है: प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक।

प्राथमिक रोकथाम:

श्रवण हानि की प्राथमिक रोकथाम समस्या की शुरुआत और विकास का उन्मूलन या निषेध है। श्रवण हानि की प्राथमिक रोकथाम के लिए कई गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। यह एक समस्या की घटना को रोकने के उद्देश्य के साथ श्रवण हानि के विभिन्न कारणों पर आम लोगों को शिक्षित करने के लिए किया जा रहा है। इस तरह की सेवा प्रदान करने वाले लक्ष्य समूह में चिकित्सा और पैरामेडिकल पेशेवर (बाल रोग विशेषज्ञ, ईएनटी डॉक्टर, पारिवारिक चिकित्सक, पीएचसी डॉक्टर, स्नातकोत्तर मेडिकल छात्र, नर्स, एएनएम और सीबीआर कार्यकर्ता), स्कूलों के प्रमुख, स्कूल शिक्षक, सामाजिक और स्वास्थ्य कार्यकर्ता आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और विभिन्न परोपकारी संगठन शामिल हैं |इन संवादात्मक कार्यक्रमों के दौरान समूहों को श्रवण बाधित की रोकथाम, पहचान और प्रबंधन पर दिशा-निर्देश व्यक्तिगत रूप में पाते हैं। श्रवण हानि की रोकथाम के संबंध में उन्हें हैंडबिल,पंपलेट और पोस्टर भी दिए जाते हैं। ये अभिविन्यास कार्यक्रम कान की देखभाल और श्रवण संरक्षण को बढ़ावा देते हैं। श्रवण हानि की घटना के पश्चात व्यक्तिगत पुनर्वास की तुलना में प्राथमिक रोकथाम के लिए खर्च की लागत बहुत कम है।

गौण रोकथाम:

गौण रोकथाम में श्रवण समस्याओं वाले संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान करने के लिए स्क्रीनिंग शामिल है। प्रारंभ में व्याक्तिगत रूप में अधिक निदान और पुनर्वास के क्रम में ऐसा करने की आवश्यकता है। विभिन्न लक्षित समूहों की स्क्रीनिंग नियमित रूप से की जाती है। स्क्रीनिंग विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा की जाती है जिसमें श्रवण विज्ञानी और ईएनटी विशेषज्ञ शामिल हैं। लक्ष्य आबादी में सभी आयु वर्ग के व्यक्ति शामिल हैं। अस्पताल में बच्चों, स्कूली बच्चों, औद्योगिक श्रमिकों और वरिष्ठ नागरिकों के नवजात शिशुओं की स्क्रीनिंग एक नियमित गतिविधि के रूप में की जाती है। नवजात श्रवण स्क्रीनिंग कार्यक्रम श्रवण हानि वाले बच्चों को जल्द से जल्द पहचान करने के उद्देश्य से किया जाता है।

वाक् और भाषा के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण उम्र होता है। जीवन में बाद के चरण में पहचाने जाने वालों को वाक् के माध्यम से प्रभावी ढंग से संवाद करना मुश्किल होता है। उन्हें उन लोगों की तुलना में अधिक गहन और लंबी अवधि की चिकित्सा की आवश्यकता थी जो प्रारंभिक उम्र में ही पहचाने जाते हैं।

किसी भी अधिग्रहित या देर से शुरू होने वाले श्रवण हानि की उपस्थिति का पता लगाने के लिए स्कूली बच्चों की जांच की जाती है। उन बच्चों की प्रारंभिक पहचान और पुनर्वास उनके द्वारा अर्जित वाक् की गिरावट को रोकता है। यह उन्हें शिक्षा में सफलता प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। यह कार्यक्रम शैक्षिक विभाग के समन्वय में चलाया जा रहा है।

ध्वनि प्रेरित श्रवण हानि, श्रवण हानि के रोके जाने योग्य कारणों में से एक है। इसलिए, श्रवण संरक्षण कार्यक्रम के माध्यम से, औद्योगिक नियोक्ताओं और कर्मचारियों को न केवल श्रवण पर, बल्कि सामान्य और मानसिक स्वास्थ्य पर, कार्यशालाओं और अभिविन्यास कार्यक्रमों के माध्यम से ध्वनि के दुष्प्रभाव के बारे में शिक्षित किया जा रहा है। ध्वनि के प्रभावों की निगरानी के लिए अनुवर्ती मूल्यांकन किया जाता है। दिए गए अभिविन्यास कार्यक्रमों के कारण, कर्मचारियों ने कान सुरक्षात्मक उपकरणों का अधिक गंभीरता से उपयोग किया है।

बढ़ती उम्र के साथ, शरीर में अन्य प्रणालियों के साथ, श्रवण प्रणाली भी इसकी संरचना और कार्य में गिरावट से गुजरती है, विशेष रूप से वाक् को समझने में। चूंकि कई वरिष्ठ नागरिक अब सक्रिय जीवन जी रहे हैं, उन्हें श्रवण सहायता की आवश्यकता है। उनमें से कई को प्रणालीगत बीमारियां हो सकती हैं जो श्रवण समस्याओं की अधिक सहभागीता के कारण हो सकती हैं। इस तरह के संवेदी कमी को एक उपयुक्त श्रवण सहायता से दूर किया जा सकता है। इससे वे न केवल दूसरों को सुन सकते हैं, बल्कि खुद को भी सुन सकते हैं जो उनके भाषण में गिरावट को रोकता है।

तृतीयक रोकथाम:

तृतीयक रोकथाम, जिसमें श्रवण हानि के रूप में पहचान किए गए व्यक्तिगत पुनर्वास शामिल है, ताकि व्यक्तियों को प्रभावी ढंग से संवाद करने में सक्षम बनाया जा सके। छोटे बच्चों में उनके लिए वाक् और भाषा प्राप्त करना आवश्यक होता है। प्रारंभिक पहचान और पुनर्वास की आवश्यकता उन श्रवण बाधित व्यक्तियों में भी होती है, जिन्होंने पहले ही वाक् प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उनके वाक् की निगरानी के लिए श्रवण आवश्यक है। श्रवण हानि भी एक व्यक्ति शिक्षा और नौकरी स्थान को प्रभावित करेगा। इसलिए, इन प्रतिकूल प्रभावों को रोकने के लिए, द्वितीयक रोकथाम, समस्या की तृतीयक रोकथाम के बाद किया गया है। श्रवण हानि होने का निदान करने वाले व्यक्तियों को या तो उपचार की एक चिकित्सा / सर्जिकल लाइन या ऑडियोलॉजिकल प्रबंधन प्रदान किया जाता है। ऑडियोलॉजिकल प्रबंधन में ऐसे उपकरण प्रदान करना या निर्धारित करना शामिल है जो उन्हें बेहतर सुनने में सक्षम करेगा। भारत सरकार की सहायता और उपकरण योजना के अंतर्गत श्रवण यंत्र निःशुल्क वितरित किए जाते हैं जो पात्र हैं। यह केवल श्रवण यंत्र ही नहीं है जो श्रवण की विशिष्ट आवश्यकताओं को दूर कर सकता है बल्कि सहायक श्रवण यंत्र (ALDs) जैसे कि टीवी श्रवण प्रणाली, टेलीफोन एम्पलीफायर, अद्वितीय समस्याओं को दूर करने के लिए व्यक्तिगत मामलों में भी निर्धारित हैं। उनके द्वारा उपयोग किए जा रहे श्रवण यंत्रों को समय-समय पर शूटिंग में परेशानी, मरम्मत आदि के लिए लाया जाता है। जिन व्यक्तियों को श्रवण कौशल में और अधिक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, उन्हें यह प्रदान किया जाता है।

इन श्रवण संरक्षण कार्यक्रमों का प्रभाव यह है कि बड़ी संख्या में व्यक्ति कम उम्र में मदद मांग रहे हैं। इस कार्यक्रम ने व्यक्तियों की समस्या का हल और एकतरफा श्रवण हानि के साथ सक्षम किया है।

**संपर्क विस्तार**

ए.आर. कीर्ति

लोक सूचना अधिकारी अ.भा.वा.श्र.सं.,

मैसूर 570 006 फ़ोन (ओ): - एक्सटेंशन: 110

फोन नंबर: 0821-2502120

[**एनएसएस (राष्ट्रीय सेवा योजना) के बारे में**](https://aiishmysore.in/hi/about-nss)

 संस्थान का उद्देश्य अपने छात्रों का सर्वांगीण विकास करना है। एनएसएस एक ऐसी गतिविधि है जो इस प्रक्रिया में मदद करती है। संस्थान युवा ऊर्जा और क्षमता को चैनलाइज करने और अपने छात्रों में राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) में शामिल होने के माध्यम से सामुदायिक सेवा की भावना को आत्मसात करने का प्रयास करता है। संस्थान में एनएसएस का उद्देश्य युवाओं को सार्थक गतिविधियों में शामिल करना है जो अंततः उन्हें समाज के साथ कुशलतापूर्वक एकीकृत करने में मदद करता है।

**उद्देश्यों**

एनएसएस के कुछ उद्देश्य हैं:

1. उस समुदाय को समझें जिसमें वे काम करते हैं।

2. समुदाय की जरूरतों और समस्याओं की पहचान करें और उन्हें समस्या समाधान में शामिल करें।

3. आपस में सामाजिक और नागरिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करें।

4. ग्रुप लाइनिंग और जिम्मेदारियों को साझा करने के लिए आवश्यक क्षमता विकसित करना।

5. आपात स्थिति और प्राकृतिक आपदा से निपटने की क्षमता विकसित करना।

6. राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सद्भाव का अभ्यास करें।

7. नेतृत्व के गुण और लोकतांत्रिक दृष्टिकोण प्राप्त करें।

8. सामुदायिक भागीदारी जुटाने में कौशल हासिल करना।

**जिमखाना**

आइश जिमखाना संस्थान के सभी कर्मचारियों और छात्रों का एक संघ हैं|जिमखाना के सदस्यों के लिए मनोरंजन,सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यकर्ता के लिए एक मंच भी हैं|यह खेल,कला,सांस्कृतिक और साहित्यिक को बढ़ावा,प्रोत्साहन बनाएं रखने और समन्यव भी करेगा |

आइश ने खेल और मनोरंजन के लिए उत्कृष्ट सुविधाएं विकसिक की हैं | पंचावती परिसर में एक खेल परिसर है जिसमें शटल बैडमिंटन और टेबल टेनिस की सुविधाएं हैं |

अत्याधुनिक उपकरण और एक पुस्तकालय के साथ एक आधुनिक व्यायामशाला है |एक सुंदर और सुरम्य खुला एयर थियेटर भी स्पोर्ट्स परिसर का हिंस्सा है |

अत्याधुनिक ऑडियो विजुअल सिस्टम के साथ 400 की बैठने की क्षमता वाला एक सभागार है |

**सम्पर्क**
श्री रमेश डी एस
सहायक प्रशासनिक अधिकारी
अखिल भारतीय वाक् एवं श्रवण संस्थान
मनासंगोथ्री
मैसूर-570006
कर्नाटक राज्य
भारत
टेलीफ़ोन (0):-91-0821-2502124
फैक्स:-91-0821-2510515

####  आरटीआई कानून

[**जानकारी के लिए कैसे पूछें**](https://aiishmysore.in/hi/how-to-ask-for-information)

कौन आवेदन कर सकता है?

सभी भारतीय नागरिक, जो इस अधिनियम के तहत जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन, यह अधिनियम जम्मू और कश्मीर राज्यों पर लागू नहीं होता है।

सूचना क्या है?

कोई दस्तावेज़, ज्ञापन, नमूना, आदि।

सूचना का अधिकार क्या है?

जानकारी चार प्रकार की होती है जो इस प्रकार है:

(ए) दस्तावेजों का निरीक्षण

(बी) सूचना की प्रमाणित प्रतियां नोट करना और प्राप्त करना

(सी) नमूने प्राप्त करना

(डी) इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से जानकारी प्राप्त करना।

#### आवेदन कैसे करें?

जानकारी प्रकाशनों और या आवेदन के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। वे कैश काउंटर, एआईआईएसएच पर उपलब्ध आवेदन पत्र पर लिखित रूप में अनुरोध करेंगे।

आवेदन शुल्क

रुपये का शुल्क। प्रत्येक आवेदन के लिए निदेशक, एआईआईएसएच, मैसूर के पक्ष में आहरित नकद, डीडी या बैंकर्स चेक के रूप में 10/- का भुगतान करना होगा।

आवेदन किसे भेजें?

भरे हुए आवेदन को श्री फ्रेडी एंटनी, क्लिनिकल साइकोलॉजी के व्याख्याता, एआईआईएसएच, मानसगंगोत्री, मैसूर - 6 को भेजा / दिया जाना चाहिए।

सूचना शुल्क क्या हैं?

रु. 2/- प्रत्येक पृष्ठ के लिए (A4 या A3 आकार)। बड़े आकार के कागज के मामले में वास्तविक शुल्क लिया जाएगा।

डिस्केट या फ्लॉपी में जानकारी के लिए (यदि इस फॉर्म में जानकारी उपलब्ध है) रुपये की राशि। 50/- प्रति डिस्केट या फ्लॉपी चार्ज किया जाएगा।

अभिलेखों का निरीक्षण

पहले एक घंटे के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा। रुपये की राशि। इसके बाद प्रत्येक 15 मिनट के लिए 5/- का शुल्क लिया जाएगा।

समय सीमा क्या है?

सूचना की आपूर्ति की समय सीमा सीपीआईओ को अनुरोध प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन है। सूचना भेजने और शुल्क के भुगतान के बीच की अवधि को इससे बाहर रखा जाएगा।

यदि सूचना किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है तो यह 48 घंटे है।

यदि निर्धारित समय के भीतर कोई उत्तर या सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो इसे अस्वीकार कर दिया गया माना जाता है।

अपील कैसे करें?

कोई भी व्यक्ति, जो निर्दिष्ट समय के भीतर निर्णय प्राप्त नहीं करता है, या सीपीआईओ के निर्णय से व्यथित है, ऐसी अवधि की समाप्ति से 30 दिनों के भीतर या इस तरह के निर्णय की प्राप्ति से उच्च अधिकारी को पेश हो सकता है। प्रथम अपीलीय डॉ. पी. मंजुला, ऑडियोलॉजी के प्रोफेसर, एआईआईएसएच, मैसूर होंगे।

निर्णय के खिलाफ दूसरी अपील उस तारीख से 90 दिनों के भीतर की जा सकती है, जिस तारीख को प्रथम अपीलकर्ता प्राधिकारी द्वारा केंद्रीय सूचना आयोग, ब्लॉक नंबर 4 (5 वीं मंजिल), पुराना जेएनयू कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली - 110 में निर्णय लिया जाना चाहिए था। 067.

न्यायालयों का क्षेत्राधिकार

भारतीय संविधान की धारा 225 और 32 के अनुसार, केवल उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालयों को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पर अधिकार है।

**संपर्क करें**

निदेशक

प्रो. एम. पुष्पावति

अखिल भारतीय वाक् एवं श्रवण संस्थान

मानसगंगोत्री

मैसूरू : 570 006

कार्यालय: 2502102

फैक्स नंबर: 2510515

ई-मेल: director@aiishmysore.in

सतर्कता अधिकारी

डॉ. मंजूला पी

ऑडियोलॉजी प्रो.

फोन नंबर : 2502183

ई-मेल : manjulap21@hotmail.com

सीपीआईओ (सूचना अधिकार अधिनियम) /

डॉ. श्रीराज के

ऑडियोलॉजी सहायक पो.

फोन नंबर: 2502579

ई-मेल: sreeraj.aslp@gmail.com

एंटी-रैगिंग नीति और समिति

डॉ. अजित यू

अध्यक्ष

अकादमिक समन्वयक

फोन नंबर: 2502181

तकनीकी मामलें

श्री. एन. मनोहर / Shri. N. Manohar

पाठक एवं विभागाध्यक्ष, ईलेक्ट्रॉनिक्स

फोन नंबर: - 2502200

ई-मेल: manu@aiishmysore.in

पारदर्शिता अधिकारी

डॉ. शीजित कुमार

पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी

पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र

फोन नंबर: 91-0821-2502150

ई-मेल: lio@aiishmysore.in

स्टाफ(अमला) शिकायत अधिकारी

डॉ.एस.पी. गोस्वामी

भाषा निदान प्रो.

फोन नंबर: 2502500

ई-मेल: goswami16@aiishmysore.in

संपर्क अधिकारी (अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग कक्ष) /

डॉ. अनिमेष बर्मन

भाषण विज्ञान पाठक एवं संपर्क अधिकारी

फोन नंबर /Phone : 2502724

ई-मेल / e-mail: animeshbarman@aiishmysore.in

संपर्क अधिकारी ओबीसी कक्ष

श्रीमान फ्रेड्डी एंटोनी

नैदानिक मनोविज्ञान व्याख्याता

फोन नंबर: 2502144

ई-मेल : Frean77@yahoo.co.in

शिकायत कक्ष / यौन उत्पीड़न रोकथाम समिति

डॉ. एम एस बसंतलक्ष्मी

जैव सांख्यिकी पाठक

भाषण भाषा पैथोलॉजी विभाग

फोन नंबर: 91-0821-2502265

ई-मेल: msvlakshmi@yahoo.co.in

सार्वजनिक शिकायत अधिकारी

डॉ. एच. सुंदर राजू

ई.एन.टी. प्रो.

फोन नंबर: 91-0821-2502242

फैक्स: 91-0821-2510515

साहित्यिक चोरी विरोधी संहिता/कक्ष

डॉ. सी. शीजीत कुमार

पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी

पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र

फोन नंबर : 91-0821-2502150

फैक्स: 91-0821-2510515

नीती शास्त्र समिति

अध्यक्ष

प्रो. मेवा सिंह

मनोविज्ञान प्रो.

मैसूर विश्ववध्यालय

मैसूरू

शैक्षणिक

डॉ. अजित कुमार यू

ऑडियोलॉजी प्रो.

फोन नंबर: 2502586

ई-मेल: ajithkumar18@gmail.com

विकलांगता अधिकार के लिए यूएन सम्मेलन

डॉ. प्रीति नायर

विशेष शिक्षा पाठक

फोन नंबर: 2502565

ई-मेल: prithinair23@gmail.com

सामान्य जानकारी

श्रीमान. ए.आर. कीर्ति

सार्वजनिक सूचना अधिकारी

एआईआईएसएच, मैसूरू 570 006

फोन नंबर: 2502120

मोबाल: 9844181080

प्रशासनिक मुद्दे

श्रीमान. रामकुमार एस / Dr. Ramkumar S

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

फोन नंबर : 2502120

संस्थान फोन नंबर

91-0821 2502000

91-0821 2502100

संस्थान फैक्स नंबर: 91- 0821 - 2510515

ई-मेल: director@aiishmysore.in

कार्य दिवस

सोमवार से शुक्रवार - 9.00 AM 5.30 PM

शनिवार, रविवार बंद एवं अवकाश सभी केन्द्र सरकार.

हम से संपर्क में रहें

ई-मेल: director@aiishmysore.in

फोन नंबर: 91-0821 2502000 91-0821 2502100

फैक्स नंबर: 91- 0821 - 2510515